मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 15
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 12 अगस्त 2025 Rs. 10/-

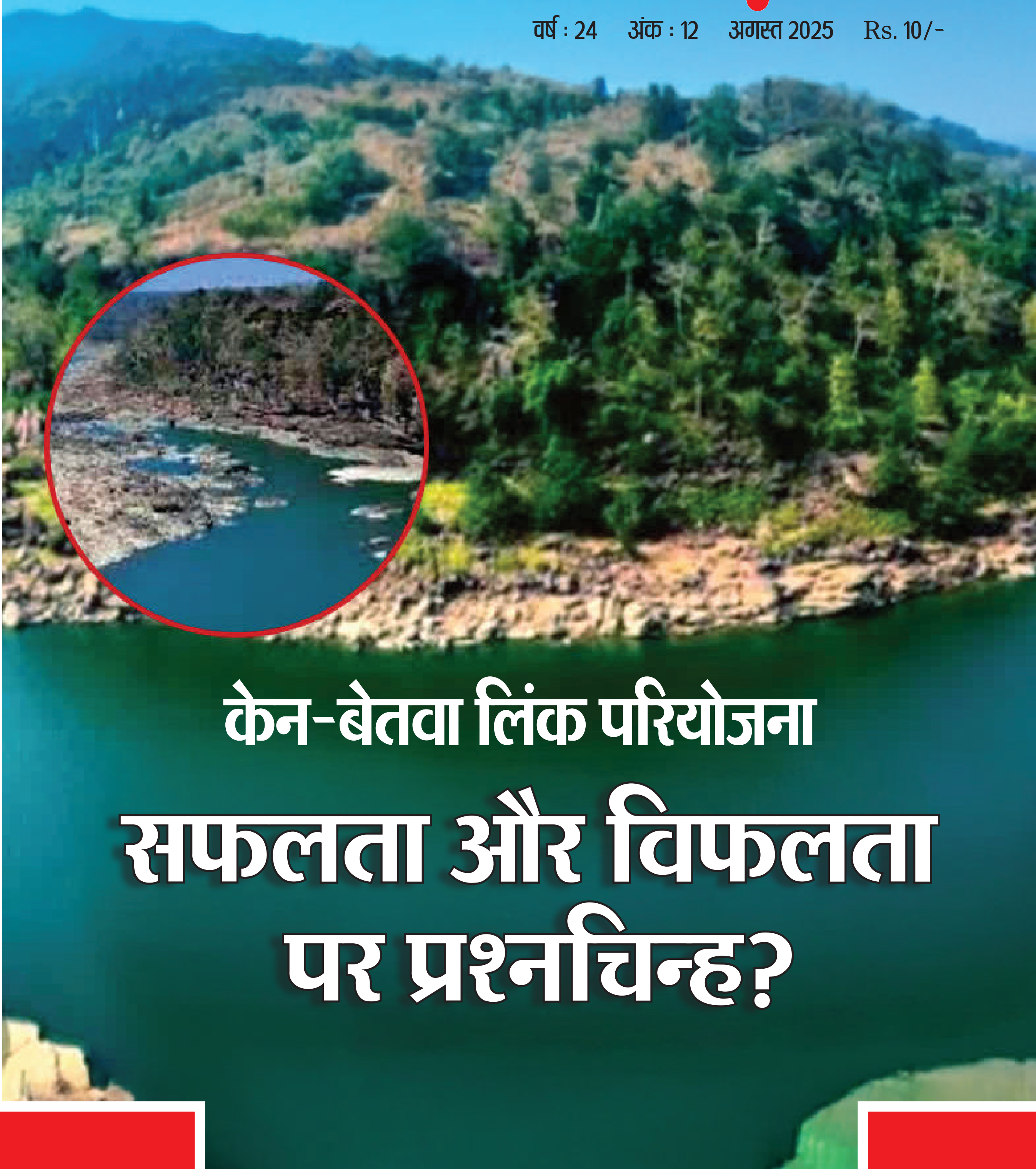

केन-बेतवा लिंक परियोजना

सफलता और विफलता पर प्रश्नचिन्ह?

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक

कार्यकारी संपादक समता पाठक

पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 25 अंक 12 अगस्त 2025**

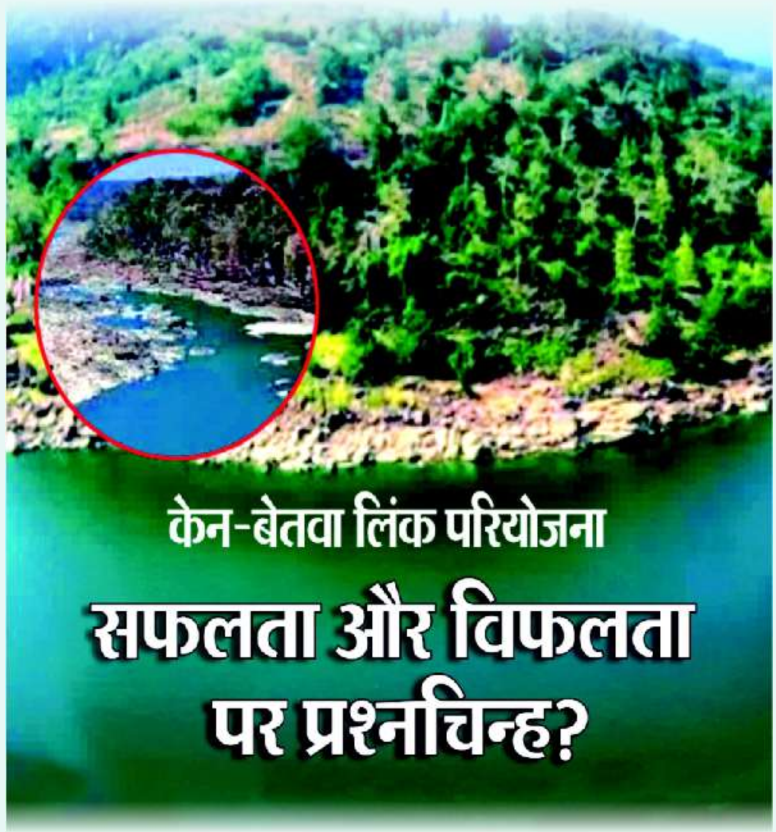

(पृष्ठ क्र.-6)

■ लूटपाट और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रहे शर्मा 41

■ प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित हैं बाढ़ की आपदाएं 46

■ एसआईआर को लेकर मचा घमासान 48

■ समाजवाद-धर्मनिरपेक्षता संविधान की आत्मा है 52

■ हरिद्वार के मंदिर में भगदड़ पूर्व में भगदड़ से हुए 55
हादसों से कोई सबक नहीं

■ स्वतंत्रता दिवस है हर देशवासियों के लिये गर्व का त्यौहार 58

विजया :)
हमें बदनाम मत करो... मछली नहीं मगरमच्छ हैं ये!

ट्रम्प ने दिखाया मोदी को दोस्ती का चेहरा

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफलगाने की घोषणा ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। ट्रंप का यह फैसला एक बार फिर उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की पुष्टि करता है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि उन्होंने इस निर्णय को उस भारत पर लागू किया है, जिसे वे खुद 11 वर्षो से अपना मित्र बताते हैं और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी गहरी मित्रता के चर्चे विश्व मंचों पर होते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान यह रही है कि वे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी एक कारोबारी सौदे की तरह देखते हैं। उनके लिए मित्रता तभी तक मायने रखती है, जब तक वह अमेरिका के हितों को साधती हो।

भारत के साथ भी उनकी यही नीति रही है। 2019 में जब ट्रंप अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो विश्व को एक संदेश गया था कि भारत-अमेरिका के संबंध नई उंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मेरा दोस्त कहकर संबोधित किया था और दोनों नेताओं के बीच मेलजोल की तस्वीरों ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी थीं। लेकिन अब जब ट्रंप भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफलगाने की बात कर रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाजिमी है- क्या यह वही दोस्ती है, जिसके भरोसे भारत ने ट्रंप को गले लगाया था?

ट्रंप की इस घोषणा का सबसे अधिक प्रभाव भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, केमिकल, ऑटो पार्ट्स और फार्मा उत्पादों पर पड़ सकता है। ये वे क्षेत्र हैं, जिनमें भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। टैरिफबढ़ने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी और निर्यात में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा यह निर्णय भारतीय कंपनियों और निवेशकों के लिए चिंता का विषय है, जो पहले से ही वैश्विक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से जूझ रहे हैं।

यह घटनाक्रम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत भी है। एक ओर जहां भारत ने अमेरिकी तकनीक, रक्षा उपकरण और व्यापारिक संबंधों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, वहीं ट्रंप जैसे नेता स्पष्ट कर देते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति उसके राष्ट्रहित के अलावा किसी और पर टिकी नहीं होती। उनकी सोच दीर्घकालिक कूटनीति के बजाय तत्काल लाभ और सौदेबाजी पर आधारित रही है। यह सोच उनके राष्ट्रपति काल में भी दिखी थी, जब उन्होंने ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटकर यूरोप और एशिया को चौंका दिया, या फिर जब उन्होंने हैरानी भरे अंदाज में चीन पर टैरिफलगाए।

भारत के साथ उनका यह रवैया दर्शाता है कि व्यक्तिगत समीकरणों पर आधारित कूटनीति हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। मोदी और ट्रंप की व्यक्तिगत मित्रता चाहे जितनी भी गहरी हो, अगर वह भारत को आर्थिक नुकसान से नहीं बचा सकती, तो वह केवल मंचीय प्रदर्शन ही कही जाएगी। इस घटनाक्रम से भारत के लिए कई सबक निकलते हैं। पहला- व्यक्तिगत रिश्तों के भरोसे विदेश नीति नहीं चलती। भले ही कोई नेता कितना भी मित्रवत दिखे, अंततः वह अपने देश के लिए काम करेगा, न कि किसी और के। दूसरा- भारत को अपने निर्यात और वैश्विक व्यापार को विविधीकृत करना होगा। यदि भारत केवल अमेरिका जैसे बाज़ारों पर निर्भर रहेगा तो टैरिफजैसे झटके भविष्य में भी संभव हैं। तीसरा- आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य अब केवल नारा नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। घरेलू उत्पादन, नवाचार और वैश्विक गुणवत्ता को बढ़ावा देना ही ऐसा विकल्प है जिससे भारत किसी एक देश की नीतियों पर निर्भर न रहे।

विजया पाठक

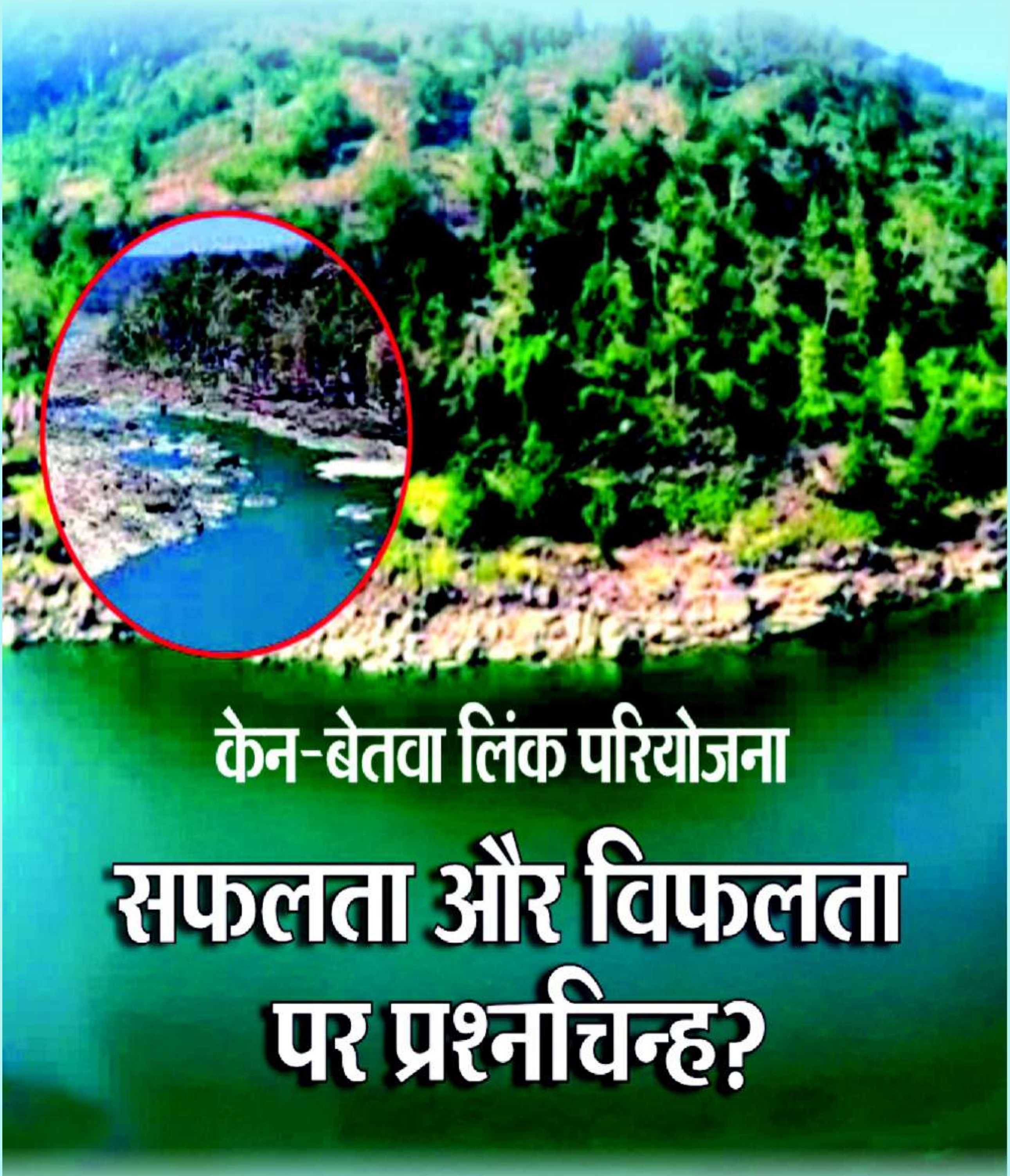
केन-बेतवा लिंक परियोजना
सफलता और विफलता
पर प्रश्नचिन्ह?

25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। लगभग 44,605 करोड़ रुपए की लागत यह प्रोजेक्ट बांधों, नहरों और सुरंगों की एक प्रणाली के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर करने को लेकर शुरू किया गया है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के लोगों की पीने के पानी की समस्या दूर करना है। साल 2005 में सबसे पहले इस योजना की परिकल्पना की गई, लेकिन कई तरह के विरोधों के चलते यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई। सरकार का यह भी दावा है कि यह परियोजना क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधाएं भी प्रदान करेगी। साथ ही, इससे 100 मेगावॉट से अधिक उर्जा उत्पादन होगी। इस परियोजना से रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाएगा। लेकिन जबसे इस योजना की बात शुरूहुई है, तब से ही कई ऐसे सवाल भी उठते रहे हैं, जिन पर फिलहाल बात नहीं हो रही है। खासकर, इस परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की अनदेखी की जा रही है। वन्यजीव संरक्षण पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां विकास का नाम लेकर इस परियोजना को महिमा मंडित किया जा रहा है वहीं अन्य दूसरे पर्यावरणीय पहलुओं का अनदेखा किया जा रहा है। इस परियोजना में 46 लाख पेड़ों को काटा जायेगा। यही कारण है कि इस परियोजना के जितने समर्थक हैं उतने ही विरोधी भी हैं। दूसरा सवाल विस्थापन को लेकर भी है। आज भी इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाले लोगों का विस्थापन या मुआवजा का वितरण नहीं हुआ है। जो पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। क्योंकि इससे उनकी आजीविका ही छिन रही है। इस परियोजना में सरकार को बुनियादी पहलुओं पर विचार करना होगा। निश्चित रूप से यह परियोजना वृहद परियोजना है। पर्यावरण और वन्यजीवों का काफी नुकसान होगा। बड़े क्षेत्र के लोग भी प्रभावित होंगे। हम मानते हैं कि बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र है, पर यह भी सच है कि बुंदेलखंड पर्यावरण की दृष्टि से काफी संपन्न है, जो कहीं न कहीं इस परियोजना से प्रभावित हो रहा है। जिस पर नीति निर्धारकों को गंभीरता से विचार करना होगा। तभी सही मायने में विकास की परिभाषा को परिकल्पित किया जा सकता है। इस परियोजना के कारण हो रहे व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह न केवल आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हनन है, बल्कि देश की जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर का भी विनाश है। भारत जैसे लोकतांत्रिक और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध देश में विकास की कीमत आदिवासी अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करके नहीं चुकाई जानी चाहिए। सवाल ये भी है कि कहीं चुनावी लाभ के लिए प्रकृति की बलि तो नहीं चढ़ाई जा रही है। क्योंकि इसके माध्यम से बीजेपी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में चुनावी लाभ की तलाश कर सकती है।

केन-बेतवा परियोजना: विस्थापन और पर्यावरण नुकसान अब भी समस्या

विजया पाठक

ये तो सच है कि अगर नदियों को एक-दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इससे कई इलाकों का सूखा समाप्त हो जाएगा और क्षेत्र का विकास होगा। नई पनबिजली परियोजनाएं शुरू हो सकेंगे और पीने के पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसी परियोजनाओं के नुकसान भी हैं। इससे जंगल और दूसरे कई इलाके डूब क्षेत्र में बदल सकते हैं। नदियों को जोड़ने से उनकी पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ेगा। दुर्लभ जीवं-जंतुओं पर संकट आ सकता है। एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में पहुंचने से हवा के पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है, जिससे मौसम और मिट्टी की नमी पर असर पड़ सकता है। यह आश्चर्य की बात है कि बाँध बनाए बिना जल-संरक्षण और जल-संचयन विधियों जैसे विकल्पों पर इस क्षेत्र में गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। इस तरह के बड़े पैमाने पर समाधान हमेशा व्यवहार्य और सर्वश्रेष्ठ नहीं होते हैं। परियोजना के लाभों को भी गंभीर संदेह के रूप में देखना चाहिए क्योंकि इसके निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक नुकसान

यह है केन-बेतवा नदी का सुंदर वृहंगम दृश्य। परियोजना के पूर्ण होने पर शायद यह दृश्य हमको दोबारा देखने को न मिले। नदी का स्वरूप और सौंदर्य तो नष्ट होगा ही साथ ही आसपास की प्राकृतिक संपदा भी नष्ट हो जायेगी, जिसका जिम्मेदार कौन होगा।

होगा जिसके अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव भी शामिल हैं। ऐसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व पारिस्थितिकी संतुलन को बनाये रखने के संदर्भ में विचार करना आवश्यक है। बुंदेलखंड के लोगों को निश्चित रूप से बेहतर जल पहुंच और प्रबंधन की आवश्यकता है, जैसा कि 08 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के अवसर पर मीडिया ब्रीफिंग नोट में दावा किया गया है। लेकिन केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड की या बुंदेलखंड द्वारा नहीं है। यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए अविश्वसनीय रूप से भारी प्रतिकूल प्रभाव लाएगी और ऐसे लाभों का वादा करती है जिनका वादा दशकों पहले किया गया था, लेकिन कभी हासिल नहीं हुआ। वास्तव में बुंदेलखंड के लिए बहुत बेहतर, सस्ते, कम प्रभावशाली और तेज़ विकल्प मौजूद हैं, अगर सरकार की इच्छाशक्ति हो। देश का कानून कहता है

यह बेतवा नदी का वह सूखा स्वरूप है, जहां वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है, लेकिन परियोजना के पूर्ण होने पर यह संपदा पूरी तरह से नष्ट हो जायेगी। यहां बचेगा तो सिर्फ विकास के नाम पर विनाश का मानवीय चेहरा।

विकास के साथ वन्यजीव संरक्षण की भी चिंता होनी चाहिए

25 दिसम्बर 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। तमाम विरोधी और अनदेखियों को दरकिनार करते हुए परियोजना को महिमामंडित किया गया। बताया गया कि परियोजना बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी।

कि कार्यान्वयन के लिए किसी परियोजना को शुरू करने से पहले, उसे वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी सहित सभी आवश्यक मंजूरियाँ लेनी चाहिए और किसी भी लंबित कानूनी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। केबीएलपी के मामले में, इसे अंतिम वन मंजूरी नहीं मिली है, सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा इसके वन्यजीव मंजूरी के बारे में बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, पर्यावरण मंजूरी को लेकर एक कानूनी चुनौती राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष लंबित है। अगर कानून का शासन होता तो कैबिनेट को इस परियोजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कुछ चुनावी लाभ हासिल करने के लिए विशुद्ध रूप से राजनीतिक विचार-विमर्श के आधार पर भाजपा सरकार की कैबिनेट ने इस विनाशकारी परियोजना को मंजूरी देने का फैसला किया। कैबिनेट के इस फैसले से यह सवाल उठता है कि क्या कैबिनेट को ऐसी परियोजना का समर्थन करना चाहिए जिसके पास सभी वैधानिक मंजूरियाँ नहीं हैं और जिसकी उपलब्ध मंजूरियों को लेकर कानूनी चुनौती विभिन्न न्यायिक निकायों के समक्ष लंबित है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट क्या संकेत दे रहे हैं, इस समर्थन से वैधानिक और न्यायिक

> **भाजपा सरकार की कैबिनेट ने इस विनाशकारी परियोजना को मंजूरी देने का फैसला किया। कैबिनेट के इस फैसले से यह सवाल उठता है कि क्या कैबिनेट को ऐसी परियोजना का समर्थन करना चाहिए जिसके पास सभी वैधानिक मंजूरियाँ नहीं हैं और जिसकी उपलब्ध मंजूरियों को लेकर कानूनी चुनौती विभिन्न न्यायिक निकायों के समक्ष लंबित है?**

स्थानीय जन समुदाय ने अर्थी पर लेटकर केन-बेतवा लिंक परियोजना का विरोध जताया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना विकास के नाम पर विनाश की परियोजना है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी छिनेगी बल्कि वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों का भी भारी नुकसान होगा।

निर्णयकर्ताओं पर किस तरह का दबाव पड़ता है? 30 अगस्त, 2019 को केबीएलपी पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रिपोर्ट में, सीईसी ने न केवल परियोजना को दी गई वन्यजीव मंजूरी की उपयुक्तता पर बल्कि परियोजना की व्यवहार्यता और वांछनीयता पर भी बुनियादी सवाल उठाए हैं। इसने कहा कि इस परियोजना से पीटीआर में 10500 हेक्टेयर वन्यजीव आवास का नुकसान होगा, इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) का 9000 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। यह परियोजना इस आधार पर आधारित है कि दो नदियों में से छोटी केन में अधिशेष पानी है जिसे बड़ी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन उस आधार का समर्थन करने का दावा किया जाने वाला हाइड्रोलॉजिकल डेटा सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, किसी भी स्वतंत्र विश्वसनीय एजेंसी द्वारा कभी भी जांच नहीं की गई है। जमीनी हकीकत और उपलब्ध तथ्य बताते हैं कि परियोजना का हाइड्रोलॉजिकल आधार हेरफेर की एक गुप्त कवायद है। सीईसी रिपोर्ट उपरी केन बेसिन की वर्तमान और भविष्य की पानी की जरूरतों के बारे में सवाल उठाती है, जिसे स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। इस परियोजना से इस बहुसंख्यक जनजातीय क्षेत्र को स्थायी रूप से पिछड़ा बनाए रखने

> **30 अगस्त, 2019 को केबीएलपी पर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रिपोर्ट में, सीईसी ने न केवल परियोजना को दी गई वन्यजीव मंजूरी की उपयुक्तता पर बल्कि परियोजना की व्यवहार्यता और वांछनीयता पर भी बुनियादी सवाल उठाए हैं।**

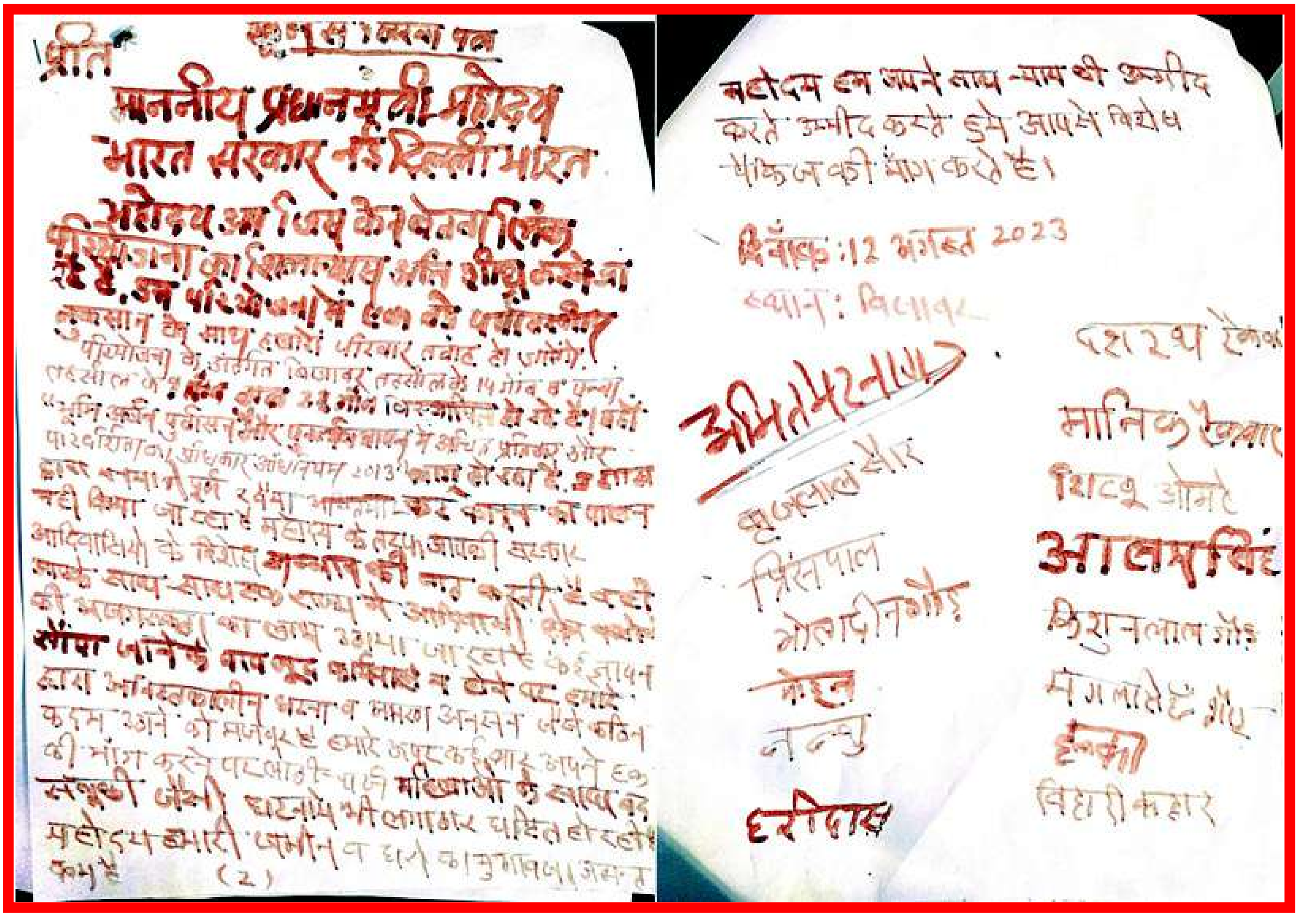
प्रति
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली भारत

दिनांक: 12 अगस्त 2023
स्थान: बिजावर

12 अगस्त 2023 को केन बेतवा लिंक प्रभावित ग्रामीणजन प्रधानमंत्री को अपने खून से लिखा पत्र भी सौंप चुकें हैं। उस समय प्रधानमंत्री कहीं जाते समय खजुराहो उतरे थे जब प्रशासन ने ग्रामीणों को उनसे नहीं मिलने दिया तो इन्होंने उनके नाम का पत्र प्रशासन को सौंप दिया था।

की संभावना है। केन बेसिन और बुंदेलखंड को बेतवा बेसिन में सिंचाई इंजीनियरों की पिछली गलतियों की कीमत चुकाने के लिए कहा गया है, जैसा कि सीईसी रिपोर्ट में कहा गया है। उपरी बेतवा बेसिन की कीमत पर निचले बेतवा बेसिन में सिंचाई सुविधाओं के विकास में यह दोषपूर्ण योजना अब प्रस्तावित है केन बेसिन से पानी के प्रतिस्थापन द्वारा ठीक किया गया। इस संदर्भ में एफएसी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया जिसे कभी लागू नहीं किया गया। यह सुझाव दिया गया है कि प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों से ली गई सतही जल विज्ञान पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम से केन बेतवा के जल विज्ञान संबंधी पहलुओं की जांच करने का अनुरोध किया जाना चाहिए था। नदी लिंक इतनी महंगी और प्रभावशाली परियोजना की हाइड्रोलॉजिकल बुनियाद की

विस्थापन और प्राकृतिक संसाधनों को कैसे किया जा सकता है नजर अंदाज?

000

समझना होगा विकास और विनाश में अंतर।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में वृहद स्तर पर जल सत्याग्रह किया था। स्थानीय लोगों ने नदी के पानी में उतरकर विरोध जताया था। सैकड़ों लोगों ने इस परियोजना को बंद करने का आह्वान किया। इनका मानना है कि यह परियोजना लाखों लोगों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का भी विनाश करेगी।

स्वतंत्र जांच से सरकार क्यों डरती है? स्पष्टतः इसमें छिपाने के लिए बहुत कुछ है।

केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) ने रिपोर्ट में पन्ना राष्ट्रीय पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व के संरक्षण और हितों को लेकर परियोजना में पूर्व बचाव सिद्धांत को भी ध्यान में रखने की सलाह दी है। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के पहले चरण (केबीएलपी-1) की जांच के लिए सीईसी ने 27 से 30 मार्च

क्या है केन-बेतवा नदी परियोजना?

वर्ष 1980 के दशक में पहली बार केन-बेतवा परियोजना को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान सामने लाया गया। तभी से पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती इस परियोजना के लिए काम कर रही थी। यह केन तथा बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त इस परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। ये दोनों नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ है। केन तथा बेतवा नदी का उद्गम क्रमशः मध्यप्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत तथा मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारागांव से होता है। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के 13 जिलें शामिल हैं। इस परियोजना के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में भू-जल पुनर्भरण का विस्तार तथा बाढ़ की समस्या को कम किया जाएगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना के दो चरण हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत, दौधन बाँध तथा इसके अतिरिक्त निम्न स्तर की सुरंग, उच्च स्तर की सुरंग, केन-बेतवा लिंक नहर और विद्युत गृह जैसे कार्यो को पूरा किया जाएगा। जबकि द्वितीय चरण में, तीन घटक शामिल होंगे जिसमें लोअर ऑयर बाँध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज का निर्माण किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश के 10 जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश के 4 जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। साथ ही बुंदेलखंड समेत दोनों प्रदेश के 65 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना से दोनों राज्यों के करीब 65 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों के लिए जल संकट खत्म होगा। पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी और दतिया

को दौरा किया था। बिट्टू सहगल और मनोज मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीईसी का गठन कर विस्तृत फील्ड रिपोर्ट तलब की थी। केएलबीपी के पहले चरण वाली परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति

समेत कुल 10 जिलों के लगभग दो हजार गांव में 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 07 लाख किसान परिवारों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। वहीं, उत्तरप्रदेश में 59 हजार क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और 1.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई का स्थिरीकरण किया जाएगा। जिससे उत्तरप्रदेश के महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा जिले में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। दौधन बांध के निर्माण से उत्तरप्रदेश के बांधा जिले में बाढ़ की समस्या से छुटकारा मिलेगा।

केन और बेतवा नदी के बारे में जानिए?

केन नदी बुंदलेखंड की प्रमुख नदियों में से एक हैं। यह नदी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के बांधा जिले के चिल्ला गांव में यमुना में मिलती है। इससे पहले यह 427 किमी की दूरी तय करती है। केन नदी पर पन्ना टाइगर रिजर्व के पास दौधन गांव के पास दौधन बांध बनाकर पानी को रोका जाएगा। इसके बाद टनल और नहर के माध्यम से पानी को बेतवा में छोड़ा जाएगा। वहीं, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। यह नदी रायसेन, भोपाल, विदिशा से होते हुए उत्तरप्रदेश के झांसी, ललितपुर जिलों से बहती हुई यमुना में मिलती है। इससे पहले यह 590 किमी की दूरी तय करती है। एक समस्या और है। इन प्रोजेक्ट से जितना फायदा होगा, उतना ही नुकसान होने की भी संभावना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना की ही बात करें, इससे सबसे ज्यादा नुकसान पन्ना टाइगर रिजर्व को होगा। इसके चलते रिजर्व का 57.21 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पानी में डूब जाएगा।

परियोजना में जमीन गई, मुआवजा नहीं मिला

केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित कई आदिवासियों को

ने 23 अगस्त, 2016 को 39वीं बैठक में वन्यजीव मंजूरी दी थी। सीईसी ने इस मंजूरी पर सवाल उठाया है।

इस परियोजना में 6,017 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन शामिल है। इसके चलते न सिर्फ बाघों और वन्यजीवों के रहने

अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इनका कहना है कि जमीन भी चली गई और बदले में कुछ नहीं मिला। उनके जीवनयापन का साधन ही छीन लिया गया है। पीड़ितों ने कलेक्टर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। परियोजना से संबंधित मुआवजा वितरित किया जा रहा है लेकिन कई लोग मुआवजे से वंचित हैं। इनकी जमीन भी अधिग्रहीत कर ली गई है। पीड़ितों में अधिकांश आदिवासी परिवार हैं। ये आदिवासी परिवार मुआवजा के लिए दर-दर घूम रहे हैं लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई।

छतरपुर जिले के 14 गांवों की जमीन अधिग्रहित

जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना से छतरपुर जिले के प्रभावितों के विस्थापन पर काम किया जा रहा है। छतरपुर जिले के प्रभावित 14 गांवों के ग्रामीणों को 04 गांवों में बसाया जाएगा। छतरपुर जिले के 14 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं तो वहीं बिजावर विधानसभा क्षेत्र के गांव नैगुवां के आदिवासी आज भी मुआवजा के लिए अधिकारियों के दर पर भटक रहे हैं। एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक अपनी अर्जी लगा चुके लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला।

काम नहीं करना चाहती थीं कंपनियां

इस परियोजना से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार एनडब्ल्यूडीए ने टेंडर दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई थी। उसके बाद भी कंपनियों ने अनुमति, लागत और तकनीक से संबंधित प्रश्न भेजे, लेकिन टेंडर जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एनडब्ल्यूडीए ने फिर तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 मार्च 2024 कर दी। मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि यदि कंपनियां निविदा के लिए आगे नहीं आएंगी तो इससे परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, कंपनियों की परियोजना को लेकर अपनी चिंताएं हैं और इसीलिए उन्होंने टेंडर दाखिल नहीं किया।

लायक पन्ना राष्ट्रीय पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान है बल्कि केन में निर्माण के कारण नदी के पानी का बहाव भी मुड़ जाएगा जिससे केन घड़ियाल अभ्यारण्य को भी नुकसान होगा। इस अभ्यारण्य पर प्रशासनिक नियंत्रण पन्ना टाइगर रिजर्व का

केन-बेतवा परियोजना आगे बढ़ी, लेकिन नदियों को जोड़ने से सूखे की आशंका

नए शोध से मिली जानकारी के मुताबिक नदियों को आपस में जोड़ने से भारत के शुष्क क्षेत्रों में सितंबर में वर्षा में कमी आने की संभावना है। अध्ययन से पता चलता है कि एक नदी बेसिन से मिट्टी की नमी में बदलाव नजदीकी इलाकों के बेसिन में मिट्टी की नमी को भी प्रभावित करेगा और इसकी वजह से वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं में जलवायु प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। केन-बेतवा लिंक परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के तकरीबन 06 साल बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से 03 अक्टूबर को अंतिम वन मंजूरी दे दी गई। हालांकि पिछले कई दशकों से नदियों को जोड़ने को एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। इसके समर्थन में बड़े-बड़े दावे किए जाते रहे हैं। कहा गया कि नदियों को जोड़ने से सूखे की समस्या का हल निकलेगा और ये तरीका काफी लागत प्रभावी रहेगा। 44,000 करोड़ रूपये की केन-बेतवा परियोजना के दावे भी अलग नहीं हैं। लेकिन नए साक्ष्यों से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर नदियों को जोड़ने से वर्षा के पैटर्न पर अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नीति निर्माताओं से नदी के मार्ग को बदलने के बारे में और अधिक गहराई से सोचने का अनुरोध किया गया है। जब से इस योजना को प्रस्तावित किया गया था, तब से भारत में नदी जोड़ो को लेकर कई विशेषज्ञों के बीच असहमति बनी रही है। नदियों को जोड़ने की वजह से होने वाली ज्यादातर आलोचना इसके स्थलीय प्रभावों को लेकर है। पर्यावरणविदों और कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अन्य पारिस्थितिक चिंताओं के अलावा नदियों को आपस

है। वन भूमि के डायवर्जन से करीब 10,500 हैक्टेयर वन पर्यावास जलमग्न हो सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान के अलावा सीईसी ने सवाल किया है कि परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित होगी? मसलन केन और

में जोड़ने से भूजल स्तर में भी बदल आ सकता है। साथ ही विदेशी आक्रामक प्रजातियां के आने और नीचे की ओर तलछट जमा कम होने की भी संभावना है। केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना के मामले में पन्ना टाइगर रिजर्व का 10 फीसदी हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, परियोजना के लिए लगभग 6,809 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। एनपीपी के तहत 30 नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई थी और केन-बेतवा लिंक कार्यान्वयन चरण तक पहुंचने वाली इन 30 परियोजनाओं में से पहली है।

परियोजना से संबंधित चिंताएँ

पर्यावरणीयः कुछ पर्यावरणीय और वन्यजीव संरक्षण संबंधी चिंताओं जैसे- पन्ना बाघ अभयारण्य के महत्त्वपूर्ण बाघ आवास क्षेत्र का हिस्सा इस परियोजना में आता है, के कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य उच्च अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में हो रही देरी की वजह से यह परियोजना अटकी हुई है।

आर्थिकः परियोजना के कार्यान्वयन और रखरखाव के साथ एक बड़ी आर्थिक लागत जुड़ी हुई है, जो परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण बढ़ रही है।

सामाजिकः इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुए विस्थापन के कारण पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सामाजिक लागत भी शामिल होगी। इस बात की भी चिंता है कि यह परियोजना पन्ना ज़िले की जल सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।

वैधानिकः KBLP को दी गई स्वीकृति में वैधानिक समस्याएँ भी हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(6) के प्रावधान के अनुसार, केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक साबित नहीं हुआ है।

अधिकारी फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे

मध्यप्रदेश सरकार के भूमि अर्जन कानून 2013 के अनुसार विस्थापन से पहले आमतौर पर ग्रामसभाएं की जाती हैं। इसमें ग्रामीण खुलकर अपनी बात रखते हैं। पारदर्शी तरीके से उनकी मांगें उपर तक जाती हैं। इन गांवों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिस व्यक्ति का सरपंच की जगह पर हस्ताक्षर है, वो व्यक्ति इस तारीख को सरपंच था ही नहीं। ग्रामीणों के अनुसार असलियत में अभी तक यहां पर एक भी ग्राम सभा नहीं की

गई है। दस्तावेज में ग्राम सभा आयोजित होने की जो तारीख लिखी है, उस पर जिस व्यक्तिका हस्ताक्षर हैं, वो उस तारीख में सरपंच रहा भी नहीं। जो सरपंच अब जीवित भी नहीं हैं, उन सबके भी हस्ताक्षर पाए गए हैं। यहां पारदर्शिता नहीं रह गई है।

ये 22 गांव होंगे प्रभावित

छतरपुर के डूब क्षेत्र वाले गांव ढोढन, पलकौहां, खरियानी, भोरखुआं, सुकवाहा, मैनारी, घुघरी, कुपी, बसुधा, शाहपुरा, पाठापुर, नैगुवां, नरौली, डुगरिया, कदवारा। पन्ना के गांव गाहदरा, कटहरी, बिलहटा, मझौली, कोनी, डोंडी, खमरी, कूड़ान, मरहा।

बेतवा का कैचमेंट एरिया औसत 90 सेंटीमीटर वर्षाजल ही हासिल करता है। खासतौर से सूखे के समय दोनों नदियों की बेसिन में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके चलते जलसंकट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जबकि सूखे की स्थिति में कई

पर्यावरणीय और विधिक उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट और NGT के सुझावों की अनदेखी

अमित भटनागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि जब परियोजना सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में विचाराधीन है, तब निर्णय आए बिना जनता के पैसे को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? जैसा कि भाजपा और प्रधानमंत्री जी प्रचारित कर रहे हैं अगर यह परियोजना इतनी लाभकारी है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्मित केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) की रिपोर्ट में परियोजना को पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से विनाशकारी क्यों बताया जा रहा? केंद्रीय सशक्तसमिति (CEC) की रिपोर्ट को आधार बताते हुये बताया कि परियोजना के तहत यह दावा किया गया कि केन नदी में जल अधिक है, लेकिन यह दावा झूठा और अप्रमाणिक है।

अध्ययन इस ओर इशारा करते हैं कि दोनों ही बेसिन में अनुमान से भी कम जल मौजूद होता है। केबीएलपी के पहले चरण में केन के निचले बेसिन और बेतवा के उपरी हिस्से को विकसित किया जाना है। इससे उपरी केन बेसिन या कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े किसान पानी से महरूम हो जाएंगे। उन्हें लघु सिंचाई परियोजनाओं की ओर देखना पड़ेगा। बिना केन बेसिन के उपरी हिस्से में सिंचाई सुविधाओं को विकसित किए हुए केन बेसिन के जरिए बेतवा बेसिन को सरप्लस पानी भेजने का अनुमान भी ठीक नहीं है,

जैव विविधता के लिए कितना बड़ा है खतरा

बाघों के सफल स्थानान्तरण के अलावा, यह रिजर्व सांभर, चीतल, ब्लू बुल, चिंकारा और चौसिंघा जैसी प्रजातियों का घर भी है। गौरतलब है कि यह सभी प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं। यह प्रजातियां वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (सीआईटीईएस) में भी सूचीबद्ध हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते उनका अस्तित्त्व खतरे में न आ जाए। शोध में यह भी सामने आया है कि इस परियोजना के चलते जो क्षेत्र जलमग्न हो सकता है उसमें सागौन के पेड़ बहुतायत में हैं। शोध के मुताबिक इस क्षेत्र के पानी में डूबने से न केवल बाघों को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही उनके प्रमुख शिकार जैसे चीतल और सांभर को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं इसके चलते करीब-करीब 46 लाख पेड़ों को भी नुकसान होगा। शोध में यह भी सामने आया है कि जो क्षेत्र इस परियोजना के चलते

सीईसी ने कहा है कि इस परियोजना में 28 हजार करोड़ रुपये पब्लिक फंड शामिल है, जो इस तरह के काम से बर्बाद हो सकता है।

सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे का मामला भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश ज्यादा पानी की मांग कर रहा है। सीईसी के समक्ष यूपी ने अपना पक्ष रखते

डूबने वाला है वहां इन जीवों जन्तुओं और पेड़-पौधों की आबादी दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अनुमान है कि इस जलमग्न क्षेत्र में मौजूद वृक्षों की जैव विविधता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस परियोजना के लिए जो बांध प्रस्तावित है उसकी कुल उंचाई करीब 77 मीटर है, ऐसे में यह इस क्षेत्र में मौजूद गिद्धों के घोंसलों और शिकार स्थल को भी प्रभावित करेगा। इसी तरह केन घड़ियाल अभयारण्य के अंदर एक बैराज के निर्माण से अभयारण्य की स्थिरता पर भी बुरा असर पड़ेगा। वहीं दौधन और मकोदिया जलाशयों के कारण जो क्षेत्र डूब जाएगा उसकी वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र के 20,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पुनर्वास की समस्या पैदा हो जाएगी। इससे पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (सीईसी) भी इस परियोजना के कारण 105 वर्ग किलोमीटर में फैले बाघों के प्रमुख आवास के जलमग्न होने और उसके बिखराव पर अपनी चिंता जता चुकी है। सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद जैव विविधतता, नैसर्गिक गुफाएँ, पेड़ों की विशेष प्रजातियाँ, सैकड़ों प्रकार की घास, झरने, केन नदी के किनारे की जैव विविधतता से समृद्ध वनस्पति व तमाम जल जीवों आदि के पर्यावास के रूप में जाना जाता है। अगर यह परियोजना स्थापित होगी तो हम इस नैसर्गिक संपदा को हमेशा के लिए खो देंगे।

हुए 50 फीसदी पानी हासिल करने का दावा किया है। यूपी करीब 530.5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी की मांग कर रहा है जबकि डीपीआर के मुताबिक उपरी बेतवा बेसिन में 384 एमसीएम पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। पानी न होने की स्थिति में यूपी ने जितनी मांग की है उस हिसाब से उपरी बेतवा क्षेत्र में सिंचाई विकसित करने के लिए पानी नहीं रह

जल संकट से निपटने के साथ-साथ कैसे बचेगी जैवविविधता

बुंदेलखंड में लोगों की जल समस्या को दूर करने के साथ-साथ जैवविविधता को भी बचाया जा सके, इसके समाधान के रूप में शोधकर्ताओं ने नीति आयोग द्वारा 2019 में जारी एक रिपोर्ट का उदाहरण दिया है, जिसमें बुंदेलखंड के बांदा जिले के जखनी गांव का उल्लेख किया है। जल संकट की समस्या से निपटने के लिए यह गांव देश-दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है, जिसने अपने दम पर अपनी पानी की समस्या को हल कर लिया है। कभी यह गांव देश के सबसे जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में से एक था। जहां से बड़ी संख्या में लोग पानी की तलाश और जीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में भारी संख्या में पलायन कर रहे थे। पर 2014 के बाद से इस गांव ने जिस तरह से जल संकट से निपटने के लिए प्रयास किए हैं उसके चलते यह गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। नीति आयोग ने भी इस गांव को जलग्राम का मॉडल घोषित किया है। इस गांव ने जल संरक्षण के बेहतर उपाय किए हैं, जिनमें खेत में तालाबों का निर्माण, जलाशयों का जीर्णोद्धार/पुनरुद्धार करना, वर्षा जल संचयन, खेत में पानी को रोकने के लिए मेड़ बनाना, साथ ही वृक्षारोपण जैसे उपाय शामिल हैं। यही वजह है कि जल संबंधी के मामले में यह गांव अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है।

जाएगा। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि केन के पास बेतवा नदी को देने के लिए सरप्लस पानी होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना का पहला चरण खुद ही विफल हो जाएगा। वहीं, सिंचाई के जो फायदे केबीएलपी से गिनाए गए हैं उस पर सीईसी का कहना है कि जो फायदा केबीएलपी से गिनाया जा रहा है वह तो अब भी बिना परियोजना मौजूद है।

खतरे में पन्ना टाइगर रिजर्व

इस परियोजना का सबसे बुरा असर मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व पर पड़ेगा। पन्ना जिला केन नदी के उपरी हिस्से में है। टाइगर रिजर्व में बाघों के प्रमुख आवास का 10 फीसदी से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब सकता है। जो लगभग 58.03 वर्ग किलोमीटर है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से बाघों के प्रमुख आवास का करीब 1053.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खतरा हो सकता है। कम से कम 20-25 लाख पुराने पेड़ इस परियोजना की बलि चढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर इस पूरे विंध्य पहाड़ी क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस परियोजना की मदद से बुंदेलखंड क्षेत्र में रह रहे लोगों को सूखे से बड़ी राहत मिलेगा। पर वहीं दूसरी तरफ अनुमान है कि इस परियोजना के चलते मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बढ़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, जो कि वहां बाघों का प्रमुख आवास (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट) भी है। इतना ही नहीं शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस परियोजना के चलते इस रिजर्व के काफी क्षेत्र में मौजूद जैव विविधता पर भी व्यापक असर पड़ेगा। देखा जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व देश भर में बाघों के संरक्षण की सबसे सफल परियोजनाओं में से एक है। इसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां 2009 में इस रिजर्व में एक भी बाघ नहीं था, वहीं 2019 में उनकी कुल संख्या बढ़कर 54 पर पहुंच गई थी।

मसलन, अभी यूपी में बैरियारपुर पिक अप वियर (पानी को उपर चढ़ाने वाली संरचना) से करीब 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो रही है जबकि केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना (केबीएलपी) से सिर्फ 2.52 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मात्र 0.38 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना : सफल या विफल?

यह परियोजना, जो बुंदेलखंड की जल समस्याओं को हल करने के नाम पर प्रस्तुत की जा रही है, व्यापक पर्यावरणीय नुकसान के साथ-साथ आदिवासी अधिकारों और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (LARR Act) का गंभीर उल्लंघन करती है।

मुख्य समस्याएं और उल्लंघन:

- **बुंदेलखंड के जल संकट के नाम पर भ्रामक परियोजना:** केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएल) को बुंदेलखंड की जल समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन यह वास्तव में बुंदेलखंड से उपरी बेतवा क्षेत्र में पानी के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगी। यह बुंदेलखंड के बाहर के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी, जबकि बुंदेलखंड की समस्याएं बनी रहेंगी।
- **जल विज्ञान के आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल:** यह दावा किया गया है कि केन में अतिरिक्त पानी है और बेतवा में कमी, लेकिन इन आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया और किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। ये आंकड़े पुराने और हेरफेरयुक्तहैं, जो उपरी केन बेसिन को स्थायी रूप से पिछड़ा और निचले केन बेसिन को सूखा बनाएंगे।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) की खामियां:** परियोजना का EIA, जो पर्यावरण मंजूरी का आधार है, सबसे घटिया

इसी तरह मध्य प्रदेश भी अभी केन नदी के बैरियापुपर पिकअप वीयर से पूरी तरह पानी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह केन बेसिन में 182 सिंचाई परियोजनाएं और बेतवा बेसिन में 348 परियोजनाएं शामिल हैं। सीईसी ने कहा है कि

और अधूरा दस्तावेज है। इसमें जैव विविधता, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का उचित आंकलन नहीं किया गया।

● **अद्वितीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का विनाश:** परियोजना के डूब क्षेत्र में प्राचीन गुफा, पाषाणकालीन शैल चित्र और भूवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे मिनी ग्रैंड कैनियन और मिनी नियाग्रा फॉल्स जलमग्न हो जाएंगी।

● **46 लाख पेड़ जैव विविधता और वन्यजीवों पर घातक प्रभाव:** यह परियोजना बाघ, गिद्ध, घड़ियाल, महाशीर मछली जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देगी। 46 लाख पेड़ों की कटाई से पर्यावरण और जैव विविधता को भारी नुकसान होगा, जिसका कोई आंकलन नहीं किया गया है।

● **सामाजिक कानूनों का उल्लंघन:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) की रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप नहीं है।

● **आदिवासी अधिकारों और ग्राम सभाओं की अनदेखी:** परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी बहुल है, लेकिन पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं किया गया। फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से सहमति का दावा किया गया। LARR अधिनियम के

केबीएलपी-1 जैसी किसी नई और बड़ी परियोजना के बिना भी सिंचाई संबंधी संरचनाएं विकसित करने की काफी संभावना मौजूद हैं। वहीं, इस परियोजना का प्रमुख मकसद है सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और खेती को समृद्ध कर गरीबी दूर करना।

तहत मुआवजा और पुनर्वास में पारदर्शिता की कमी है।

- **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का उल्लंघन:** LARR अधिनियम के तहत प्रभावित परिवारों की सहमति और मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन प्रभावित 22 गांवों के ग्रामीणों की आवाज को अनसुना किया गया। मुआवजे की प्रक्रिया में अधिकारियों और दलालों की मिलीभगत से गड़बड़ी हुई, जिससे मुआवजा गलत नामों पर डाला जा रहा है।
- **ग्रामीणों और आदिवासियों की आवाज अनसुनी:** स्थानीय ग्रामीणों ने परियोजना के नुकसान, मुआवजे की अनियमितताओं और ग्रामसभाओं के आयोजन की मांग को लेकर कई ज्ञापन दिए, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज तक किया गया।

बुंदेलखंड के प्राचीन जलस्रोतों से जल संकट का समाधान: एक स्थायी विकल्प

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना को जल संकट का समाधान बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक नुकसान इसे एक विनाशकारी परियोजना बनाते हैं। जल संकट का समाधान हमारे इतिहास में छिपा है। हमें केवल उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। इसके स्थान पर बुंदेलखंड की पारंपरिक जल संचयन पद्धतियों और प्राचीन जलस्रोतों को पुनर्जीवित करना एक स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल समाधान हो सकता है।

चन्देलकालीन जल प्रबंधन प्रणाली: इतिहास से सीखें

बुंदेलखंड में चन्देल और बुंदेला शासकों के समय में विकसित

लेकिन इस मकसद का तफसील से निरीक्षण नहीं किया गया है। सीईसी ने कहा है कि अनिश्चित वर्षा की प्रवृत्ति और पानी के कम होते बहाव को ध्यान में रखते हुए योजनाकारों को किसानों को पुराने कृषि परंपरा पर लौटने और पुरानी फसलों के

जल प्रबंधन प्रणालियां न केवल जल संग्रहण और उपयोग में कुशल थीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक थीं।

- **तालाबः** चन्देलकालीन तालाबों का जाल बुंदेलखंड में जल संचयन की रीढ़ रहा है। ये तालाब वर्षा जल को संरक्षित करने, भूजल स्तर को बनाए रखने और जल संकट को रोकने में सहायक थे। बेतवा और धसान नदी बेसिन के तालाब, जो न केवल सिंचाई बल्कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए भी उपयोगी रहे हैं।

- **बावड़ी और जलाशयः** बुंदेलखंड में सैकड़ों बावड़िया और जलाशय हैं, जिन्हें स्थानीय समुदाय सदियों से उपयोग करते आए हैं। इन संरचनाओं को पुनर्जीवित कर जल संचयन क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

- **नदी और नालों का संरक्षणः** स्थानीय नदियां और नाले, जो क्षेत्र में जल प्रवाह बनाए रखते हैं, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण संकट में हैं। इन जलस्रोतों को पुनर्जीवित कर जल संकट का समाधान किया जा सकता है।

बुंदेलखंड के जल संकट के लिए वैकल्पिक समाधान

- **पारंपरिक जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण और संरक्षणः** क्षेत्र के सभी चन्देलकालीन तालाब, बावड़ी, और जलाशयों की मरम्मत और गहरीकरण किया जाए। इन जल संरचनाओं को सौरपंप और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाए ताकि उनकी उपयोगिता बढ़ सके।

- **स्थानीय नदियों और नालों का पुनर्जीवनः** स्थानीय नदियों और नालों को जलग्रहण क्षेत्र आधारित योजना से पुनर्जीवित किया जाए। अतिक्रमण हटाकर, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाए ताकि वर्षा जल का अधिकतम संचयन हो सके।

- **चेक डैम और रिचार्ज संरचनाएंः** क्षेत्र के छोटे-छोटे नालों पर चेक डैम और जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जाएं। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार होगा।

- **सामुदायिक भागीदारीः** जल संरक्षण परियोजनाओं में स्थानीय

चयन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चेकडैम का निर्माण व मिट्टी और जल संरक्षण के अन्य उपायों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे में बिना नुकसान न सिर्फ क्षेत्र को हरा-भरा किया जा सकता है बल्कि इस दृष्टिकोण से कम लागत में ही

समुदायों को शामिल किया जाए। ग्राम स्तर पर जल समितियां बनाई जाएं, जो पारंपरिक जल संरचनाओं की देखभाल करें।

पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ

- **पर्यावरणीय संतुलनः** पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करके स्थानीय पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सकता है। यह परियोजना के तहत कटने वाले 46 लाख पेड़ों को बचाने में सहायक होगी।

- **कम लागत वाला समाधानः** चन्देलकालीन जल संरचनाओं का पुनर्जीवन केन-बेतवा परियोजना की तुलना में बहुत सस्ता और टिकाउ समाधान होगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आजीविका सुरक्षित होगी।
- **स्थानीय जल संकट का समाधानः** पानी को स्थानीय स्तर पर संरक्षित करके जल संकट का समाधान किया जा सकता है, जिससे बुंदेलखंड से पानी का निर्यात नहीं होगा।

मांगें

- **परियोजना पर रोकः** जब तक सर्वोच्च न्यायालय और एन.जी.टी. के निर्णय नहीं आ जाता, सभी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रावधानों का पालन नहीं होता, तब तक परियोजना को रोका जाए।
- **जल विज्ञान के आंकड़ों की समीक्षाः** स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा जल विज्ञान के आंकड़ों की समीक्षा कराई जाए और इन्हें सार्वजनिक किया जाए।
- **ग्रामसभाओं का पारदर्शी आयोजनः** PESA और LARR अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं का पारदर्शी तरीके से आयोजन किया जाए।
- **पर्यावरणीय प्रभाव का पुनर्मूल्यांकनः** CEC की रिपोर्ट के आधार पर परियोजना के सभी प्रभावों का पुनः वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए।
- **स्थायी समाधानः** बुंदेलखंड के प्राचीन जल स्रोतों जैसे चन्देलकालीन तालाब, बावड़ी और नालों को पुनर्जीवित कर जल संकट का स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल समाधान निकाला जाए। सरकार को केन-बेतवा परियोजना पर पुनर्विचार कर प्राचीन जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन पर ध्यान देना चाहिए। जल विज्ञान के आधार पर बुंदेलखंड के लिए एक स्थानीय समाधान तैयार किया जाए, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का समावेश हो। जल संरक्षण के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक नीति बनाई जाए, जिसमें पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की प्राथमिकता हो।

कृषि समृद्ध होगी। सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस परियोजना से मुनाफे का आंकलन भी ठीक से नहीं किया गया है। यदि सभी बिंदुओं को मिलाए तो आर्थिक मोर्चे पर इस परियोजना को सफल नहीं कहा जा सकता है। समिति ने पर्यावरण मंत्रालय

किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

परियोजना से प्रभावित किसानों ने मुआवजा में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान ने न्याय पदयात्रा निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उचित मुआवजा की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि अभी तक कानून का पालन नहीं किया गया है और प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे भी नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कहा सरकार किसानों की जमीन तो ले रही है लेकिन उन्हें न्यायसंगत मुआवजा नहीं दे रही, जो असंवैधानिक है। कलेक्ट्रेट के सांकेतिक घेराव और न्याय पदयात्रा के दबाव में प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिजावर एसडीएम और केन-बेतवा परियोजना के भू-अर्जन अधिकारी विनय द्विवेदी को अध्यक्षता में एक समाधान समिति का गठन किया। किसानों की ओर से अमित भटनागर ने धूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पारिस्थितिकीय प्रभाव को लेकर 13 बिंदुओं पर विस्तार से तथ्यात्मक बात रखी। सर्वेक्षण पारदर्शी अतीविका और भूमि हानि के मामलों में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। मकानों का मुआवजा बहुत कम दिया गया है और भूमि संबंधी विसंगतियां भी हैं। किसानों के मुआवजे गलत नामों पर दर्ज किए गए हैं। प्रभावितों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई, न ही किसी ग्रामसभा में उसे प्रस्तुत किया गया।

की मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी और अन्य मंजूरियों में तमाम जरूरी बातों की उपेक्षा किए जाने पर भी सवाल किया है।

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पहली बार 1980 में प्रस्तावित की गई थी। इसका मकसद सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई में

विस्थापन के लिए दिये 1200 करोड़

केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 2018 में ग्रामीणों के लिए विस्थापन पैकेज 1200 करोड़ का था। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से प्रति परिवार 12.5 लाख का एक विशेष अनुदान घोषित किया। राज्य सरकार ने इन्हें दूसरी जगह बसाने के लिए राजस्व की जमीनें चिंहित कर लीं। छतरपुर के लोगों को 131 हेक्टेयर में छतरपुर के नदगाय बट्टन, किशनगढ़ और भैंसखार में बसाया जाएगा। पन्ना के लोगों को अमानगंज के रमपुरा में 48 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। विस्थापन के बाद गांव वालों को अपने इन इलाकों में फॉरेस्ट लैंड तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पन्ना टाइगर रिजर्व की भी होगी। इसका पैसा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की राशि में से मिलेगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को स्टेज वन का क्लीयरेंस मिल चुका है। दूसरे स्टेज का फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी अंतिम चरण में है। प्रोजेक्ट में पन्ना टाइगर रिजर्व की जितनी जमीन डूब क्षेत्र में आ रही है, उतनी ही जमीन राज्य सरकार के मुहैया कराने के बाद डैम का काम शुरू हो जाएगा। 1982 में पन्ना टाइगर रिजर्व के अस्तित्व में आने के बाद से कुछ शर्तो के आधार पर ये लोग पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ही रह रहे थे। यहां इनकी अपनी जमीनें भी हैं। मगर, ये पूरा क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत अब सरकार जमीन और घर का मुआवजा देकर इन्हें यहां से विस्थापित करने की तैयारी कर रही है। ग्रामीणों को उनकी सिंचित जमीन के लिए कलेक्टर रेट के हिसाब से 03 लाख प्रति हेक्टेयर और असिंचित जमीन के लिए डेढ़ लाख प्रति हेक्टेयर मिलेगा। इसके अलावा, जो भूमिहीन हैं

सुधार के लिए नदियों के सरप्लस पानी को पानी की कमी वाली नदियों में ट्रांसफर किया जाना था। आपस में जोड़ने के लिए पहचानी गई 30 नदियों में से 16 प्रायद्वीपीय भारत में और 14 हिमालय क्षेत्र में हैं। कुल मिलाकर, ये परियोजनाएं नहरों के नेटवर्क

उन्हें 12.5 लाख रूपए का विशेष अनुदान मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रत्येक परिवार को 12.5 लाख रूपए के विशेष अनुदान पैकेज की घोषणा की थी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के शिलान्यास से नाराज प्रभावितों ने मनाया काला दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास से नाराज आदिवासी और ग्रामीणों ने काला दिवस मनाया। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में प्रभावित लोग दौधन बांध के निर्माण स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए और सांकेतिक चिता बनाकर उस पर लेट कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना ने उनके जीवन, माटी और आजीविका को नष्ट कर दिया है। उन्होंने परियोजना के लिए अपने खेत, घर और सांस्कृतिक पहचान का त्याग किया, लेकिन बदले में उन्हें फर्जी ग्राम सभाओं, लाठीचार्ज और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा।

ग्रामीणों का दर्द : हमने सब कुछ खो दिया, पर हमारे साथ अन्याय क्यों?

22 गाँवों के आदिवासी और ग्रामीण, जिनकी जमीन, माटी और आजीविका इस परियोजना के कारण छीन ली गई, ने प्रधानमंत्री से सवाल किया-

- **त्याग के बदले बर्बरता क्यों?:** हमने अपनी जमीन और पहचान खो दी। हमें सहानुभूति और सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन हमें फर्जी ग्राम सभाओं और लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा।
- **फर्जी ग्राम सभाओं का सहारा क्यों?:** पंचायती राज अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ग्रामीणों की सहमति आवश्यक थी, लेकिन फर्जी ग्रामसभाओं के माध्यम से सहमति का झूठा दावा किया गया।
- **पुनर्वास और मुआवजा क्यों नहीं?:** हमारी जमीन सरकार ने ले ली, लेकिन न मुआवजा मिला, न पुनर्वास। मुआवजे में भ्रष्टाचार हुआ और हमारी आवाज़ को दबा दिया गया।
- **लाठीचार्ज और दमन क्यों?:** शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर हमें रात में लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। क्या यही लोकतंत्र है?

के जरिए हर साल 174 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को एक से दूसरी नदी में छोड़ेंगी।

दशकों पहले कल्पना किए जाने के बावजूद नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काफी धीमी गति से काम हो रहा है। इसके आगे बढ़ने के रास्ते में कई विवाद भी हैं। गोदावरी

केन-बेतवा लिंक परियोजना के शुरू होते ही उदगम स्थल पर खड़ा हुआ जल संकट

रेत का अत्यधिक खनन और भूजल के लिए नदी के आसपास निरंतर होती खुदाई से बेतवा नदी की धार लुप्त हो रही है। यह सूखने के कगार पर है। इस परियोजना को सूखे से जूझते बुंदेलखंड के लिए एक जीवनदायिनी सौगात माना गया था। मगर इस शिलान्यास के ठीक तीन महीने बाद ही बेतवा नदी के उद्गम में जल संकट खड़ा हो गया। पांच हजार साल पुरानी यह नदी हाल के दिनों में अपने उद्गम स्थल से विलुप्त हो गई है। रायसेन जिले की विंध्य पर्वतमाला के झिरी गांव से निकलने वाली बेतवा के उद्गम स्थल के आसपास फैले घने जंगल में से दो सौ एकड़ के हिस्से का भूमाफिया ने ढाई दशक में सफाया कर दिया और वहां की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सघन जंगल से निकलने वाली बेतवा नदी के आसपास पांच सौ एकड़ भूमि पर अब जंगल काट कर धान और गेहूं की खेती हो रही है। इस जंगल की दो सौ एकड़ भूमि बेतवा नदी को निरंतर प्रवहमान बनाए रखती थी। नदी की तटीय भूमि के लगभग दो सौ एकड़ क्षेत्र में खेती के लिए पांच सौ से लेकर एक हजार फीट गहरे नलकूपों का उत्खनन हो चुका है। अब बेतवा नदी का जल स्रोत अपनी दिशा बदल कर भूमिगत हो चुका है। जबकि पहले भी उद्गम से पतली धार के रूप मे आगे बढ़ी बेतवा नदी से कुछ दूर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र का रसायन युक्त पानी वर्षो से नदी को गंदे नाले में बदल रहा है। इसके बाद नदी के किनारे गांवों और शहरों की गंदगी को बगैर शोधित किए नदी में डाला जा रहा है। बेतवा अपनी सहायक छोटी-छोटी नदियों-हलाली, कालियासौत, सिंध, उर्वशी, बीना, धासन और जामनी-के सहारे 590 किलोमीटर का सफर तय कर हमीरपुर (उत्तर प्रदेश) में यमुना नदी में समाहित हो जाती हैं। मगर इसके पहले यह हलाली, माताढीला के माध्यम से लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती हुई बिजली उत्पादन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कल-कारखाने की वजह से नदी बन गई नाला

पिछले बाईस वर्षों से विदिशा शहर का घरेलू पेयजल उपभोक्ता संगठन और बेतवा उत्थान समिति के सदस्य प्रतिदिन घाटों से कचरा निकालने में जुटे रहते हैं। मगर सरकारी उपेक्षा और प्रतिदिन निकल रहे मलबे के सामने यह संगठन बौना ही साबित होता है। कारखानों के खतरनाक रसायनों एवं त्योहारों के दौरान नदी में मूर्तियों के विसर्जन से जलचरों का जीवन

को कावेरी से जोड़ने की योजना में राज्यों ने गोदावरी नदी को कावेरी की ओर मोड़ने के लिए पूर्व में पानी की उपलब्धता के बारे में चिंता जताई है और जल बेसिन क्षमता के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। कावेरी को गोदावरी से जोड़ने की इस योजना में

समाप्तप्राय हो चुका है। पर्यावरणविदों की मानें, तो बहती नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में प्रत्येक दस-बीस किलोमीटर की दूरी पर दुबारा प्राकृतिक शुद्धता प्राप्त कर लेती है। ऐसा तब है जब नदी को उसके उद्‌गम एवं स्वजल स्रोतों से निरंतर शुद्ध पानी मिलता रहे। मगर बेतवा नदी के साथ अब ऐसा नहीं है। उद्‌गम समाप्त होने और रास्ते में कल-कारखानों सहित किनारों पर बसे शहरों एवं गांवों की गंदगी के कारण अब यह नदी न होकर गंदा नाला ही है। हालांकि विदिशा के पास हालाली नदी का बांध अपने पानी से नदी की टूटती सांसों को समय-समय पर जीवनदान देता रहता है। यह नदी अत्यधिक जहरीली बनने के बाद भी केन-बेतवा जोड़ परियोजना के कारण सूखे से बेहाल बुंदेलखंड की जनता में आस जाग रही है। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर राज्य शासन की डीपीआर रपट में बेतवा के उद्‌गम के पास मकौडिया गांव में बांध बना कर नदी जल के प्रवाह को बनाए रखने की योजना की सिफारिश की गई थी। इस बांध के माध्यम से विदिशा और रायसेन जिलों के एक सौ चालीस गांवों में पेयजल के साथ 62 हजार 230 हेक्टेयर भूमि भी संचित करने का प्रस्ताव था, लेकिन परियोजना के भूमिपूजन से पूर्व मध्यप्रदेश सरकार ने डूब क्षेत्र अत्यधिक बता कर मकौडिया में बांध निर्माण को योजना से अलग कर दिया। इस संशोधन के बाद नदी जल की शुद्धता पर प्रश्नचिह्न लग गया।

नदी का उद्‌गम हो गया समाप्त

अपने उद्‌गम से लगातार प्रदूषित नदी में शुद्ध जल के बजाय निस्तार और कल-कारखानों की रासायनिक गंदगी की मात्रा अधिक है। पूरी परियोजना में पहले से ही इस गंदगी को बेतवा में मिलने से रोकने की चर्चा नहीं हुई है। मगर जब पहले ही नदी का उद्‌गम समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में बेतवा-केन जोड़ परियोजना के लिए कुछ कहना मुश्किल है। मरणासन्न बेतवा को पुनर्जीवित किए बगैर नदी जोड़ योजना की सफलता अब संदिग्ध हो चुकी है।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्यों के तीन घटक शामिल हैं। फिलहाल यह योजना अटकी हुई है क्योंकि राज्यों के बीच जल बंटवारे समझौते पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है।

केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के

परियोजना से होगा बरसात पर असर

सितंबर में वर्षा में सबसे अधिक औसत कमी ओडिशा (12 फीसदी), आंध्र प्रदेश (10 फीसदी), राजस्थान और गुजरात (9 प्रतिशत) में पाई गई। मुख्य मानसून क्षेत्र में मध्य भारत के हिस्सों में भी वर्षा में 08 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। साथ ही उत्तराखंड और पूर्व-मध्य भारत में पश्चिमी हिमालय की तलहटी में गिरावट (6.4 प्रतिशत) हुई है। ये परिवर्तन मिट्टी की नमी में बदलाव के कारण होते हैं। जब एक बेसिन में मिट्टी की नमी में बदलाव होता है, तो यह वाष्पीकरण, कूलिंग और वर्षा को प्रभावित करके नजदीकी इलाकों के बेसिन में भी परिवर्तन ला सकता है। हमने पाया कि नदी बेसिन इन फीडबैक लूप्स द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिट्टी में बढ़ी हुई नमी वाष्पीकरण के जरिए वायुमंडल में नमी की आपूर्ति कर सकती है, जिससे या तो उसी बेसिन में रीसाइकल वर्षण (बारिश या बर्फबारी) हो सकती है या हवा के जरिए बादल दूर के इलाकों में जाकर बरस सकते हैं। वाष्पीकरण की वजह से होने वाली ठंडक विभिन्न भूमि क्षेत्रों के तापमान में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती है। हवा के पैटर्न में बदलाव और इसके बाद नमी का एक जगह से दूसरी जगह जाने और वर्षा होने की संभावना है।

एक नए अध्ययन से पता चला है कि प्रस्तावित इंटर बेसिन वॉटर ट्रांसफर या नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाएं मॉनसूनी बारिश के स्थानीय पैटर्न को बदल सकती हैं। अध्ययन में बताया गया है कि सितंबर में होने वाली बारिश पर सबसे अधिक असर पड़ेगा, क्योंकि यह सतह की नमी पर निर्भर करती है। अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को

बाद पांच और नदियों को जोड़ने का प्लान एप्रुव हो गया है। नदी जोड़ की महात्वाकांक्षी परियोजना के जरिए सरकार यह तर्क देती रही है इससे उन इलाकों को फायदा होगा जो सूखा या बाढ़ झेल रहे हैं। हालांकि, पर्यावरणविद लगातार इन परियोजनाओं से

नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के सिंचाई लक्ष्यों का अनुकरण किया और साथ ही देश के कुछ शुष्क क्षेत्रों में सितंबर की वर्षा में 12 फीसदी तक की कमी और अन्य क्षेत्रों में सितंबर की वर्षा में 10 फीसदी की वृद्धि देखी। प्रस्तावित नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं की योजना बनाते समय मॉनसून के स्थानीय पैटर्न में बदलाव पर विचार किया जाना चाहिए। स्थलीय जल चक्र में परिवर्तन वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए नदियों को आपस में जोड़ने जैसी बड़े पैमाने की हाइड्रोलॉजिकल परियोजनाओं की योजना बनाते समय, मौसम संबंधी परिणामों के कठोर, मॉडल निर्देशित मूल्यांकन को शामिल करने की

लागू करने से पहले एक व्यापक वायुमंडलीय अध्ययन की जरूरत पर जोर दिया। यह अध्ययन बॉम्बे के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के सिविल इंजीनियरिंग और जलवायु अध्ययन में कार्यक्रम विभाग के शोधकर्ता, पुणे के भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के सहयोग से किया गया है। अध्ययन में हैदराबाद विश्वविद्यालय के नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के वायुमंडलीय प्रभाव का अध्ययन किया गया। शोधकर्ताओं ने भारत की प्रमुख नदी घाटियों गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा-तापी का विश्लेषण किया। उन्होंने इस बात को उजागर करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया कि ये नदी घाटियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही नदी घाटियों से पानी वाष्पित होता है या जब नदी घाटियों में बारिश होती है, तो भूमि वायुमंडल से जुड़ी होती है। घाटियों के पार, जैसे-जैसे हवाएं पानी ले जाती हैं, आपस में वायुमंडलीय संबंध बनते हैं। नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाएं बड़े पैमाने पर सिंचाई, भारतीय मॉनसून के स्थानीय पैटर्न को बदल सकती हैं। उन्होंने

तत्काल जरूरत है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन परियोजनाओं में हमारे कृषि प्रधान देश के जल संकट को कम करने की क्षमता है, ऐसी परियोजनाओं के लिए समग्र मूल्यांकन और भूमि वायुमंडल प्रतिक्रिया, पारिस्थितिकी प्रभाव, भूजल संपर्क, समुद्री परिवर्तन आदि को शामिल करते हुए कुशल और टिकाउ जल संसाधन प्रबंधन के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। अध्ययन में कहा गया है कि सिंचाई भूमि वायुमंडल प्रतिक्रिया के माध्यम से अगस्त और सितंबर में इसके बाद के चरणों में भारतीय मॉनसून को नमी प्रदान करती है। भूमि से वाष्पीकरण-उत्सर्जन हवा में नमी में योगदान देता है, जो फिर बारिश के रूप में बदल जाती है जिसे पुनर्नवीनीकरण वर्षा कहा जाता है। सितंबर में होने वाली मॉनसूनी बारिश में पुनर्चक्रित वर्षा का योगदान लगभग 25 फीसदी है। इसका मतलब यह है कि नदी घाटी पहले से ही वायुमंडलीय मार्गों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं।

प्राकृतिक संपदाओं की अपूर्णीय क्षति की आवाज उठाते रहे हैं। 01 फरवरी को आम बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है और इसके बाद 5 और नदियों

जल संकट का समाधान हमारे इतिहास में छिपा है, हमें केवल उसकी ओर देखने की आवश्यकता है : अमित भटनागर

सामाजिक कार्यकर्ता व आप नेता अमित भटनागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर गंभीर सवाल उठाते हुए भयंकर विनाशकारी बताया है, अमित भटनागर ने कहा कि ये बात वह नहीं कह रहे वल्कि सुप्रीम कोर्ट की विषय विशेषज्ञों की केन्द्रीय सशक्त समिति ने सरकार को इस परियोजना पर फटकार लगते हुए यह बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप नहीं है। अमित भटनागर ने इस पत्र के माध्यम से परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और कानूनी उल्लंघनों पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के जल संकट के समाधान के नाम पर एक भ्रामक प्रयास है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आदिवासी अधिकारों और भूमि अधिग्रहण कानूनों का भी उल्लंघन कर रही है। यह परियोजना न केवल 46 लाख पेड़ों की कटाई और पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को नष्ट करेगी, बल्कि 22 गाँवों के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को उनकी पहचान और अधिकारों से वंचित कर रही है। यह परियोजना विकास नहीं, बल्कि विनाश का प्रतीक बन चुकी है। परियोजना संबंधी मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हुए अमित भटनागर का कहना है कि-

- **जल संकट का समाधान या भ्रामक परियोजना ? :** केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना बुंदेलखंड की समस्याओं का हल नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड के बाहर के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराना है, जबकि क्षेत्र की वास्तविक जल संकट की समस्या जस की तस बनी रहेगी।

- **पर्यावरणीय और सामाजिक उल्लंघन:** पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (EIA) की खामियों की ओर इशारा किया, जिसमें जैव विविधता, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का सही आंकलन नहीं किया गया है। साथ ही, परियोजना में 46 लाख पेड़ों की कटाई और संकटग्रस्त प्रजातियों के आवास का विनाश होगा।

- **आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन:** परियोजना के तहत आदिवासी समुदायों की अनदेखी और ग्रामसभाओं के आयोजन में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है। परियोजना प्रभावित 22 गांवों के ग्रामीणों की आवाज को अनसुना किया गया है।

- **आवश्यक सुधार और सुझाव:** अमित भटनागर ने परियोजना पर तत्काल रोक लगाने, जल विज्ञान के आंकड़ों की समीक्षा, ग्राम सभाओं का पारदर्शी आयोजन और पर्यावरणीय प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने बुंदेलखंड के प्राचीन जल स्रोतों जैसे चन्देलकालीन तालाबों और नालों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार से सुझाव दिया है, जो एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान हो सकता है।

5. स्थानीय जल संकट का स्थायी समाधान: अमित भटनागर का मानना है कि जल संकट का समाधान हमारे इतिहास में छिपा है, हमें केवल उसकी ओर देखने की आवश्यकता है, बुंदेलखंड के जल संकट का स्थायी समाधान पारंपरिक जल स्रोतों और जल संचयन पद्धतियों के पुनर्निर्माण में निहित है। उन्होंने इस संदर्भ में चन्देलकालीन तालाबों और बावड़ियों को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया, ताकि जल संकट का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सके।

को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी जोड़ परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय नदियों की 16 परियोजनाएं व उत्तरी हिमालयी नदियां की 14 परियोजनाएं और 37 अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजनाएं प्रस्तावित की थी। इन परियोजनाओं को

बाहर रहकर आवाज दबाई जाए तो गिरफ्तारी देकर लोकतंत्र को बचायें : अमित भटनागर, आंदोलनकारी

केन-बेतवा लिंक परियोजना में भारी अनियमितताओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने छतरपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया और बेल लेने से इनकार कर दिया। अदालत में जब बेल का प्रस्ताव रखा गया तो अमित भटनागर ने दृढ़तापूर्वक कहा- मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, जेल जाउंगा। यह केवल कानूनी प्रकिया नहीं लोकतंत्र, संविधान और प्रकृति की रक्षा के लिए उठाया गया सत्याग्रह है। जब विधायिका और कार्यपालिका जनता के अधिकारों को कुचलने पर आमादा हो तो लोकतंत्र की मशाल जेल के भीतर से जलानी पड़ती है। 20 सितंबर 2013 को अमित भटनागर ने केन बेतवा परियोजना में अनियमितताओं के खिलाफ सैकड़ों किसानों के साथ बिजावर में पदयात्रा करते हुए छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक कदम के जवाब में उन पर धारा 144 व 188 के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चौकाने वाली बात यह रही कि लगभग दो वर्षो तक मामला निष्क्रिय रखा गया और अब आंदोलन दखाने के प्रयास में अचानक चालान पेश किया गया। दिसंबर 2023 में कलेक्टर की अनुमति के लिए भेजा गया, लेकिन 21 अप्रैल 2025 को उन्हें जानकारी दी गई। जब वे 24 अप्रैल को न्यायालय में आत्म समर्पण करते हैं तो बेल लेने के लिए दबाव डाला जाता है।

नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के जरिए संभाला जा रहा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना 16 प्रायद्वीपीय नदी जोड़ परियोजना का हिस्सा है। जैसा कि नदी जोड़ परियोजना को लेकर आशंकाएं हैं, वह अब सामने आना लगा है। मसलन केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना में

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सहित तमाम कानूनों का हो रहा उल्लंघन

इकोसिस्टम के सबसे अहम अंग बाघों की दुनिया कैसे उजड़ेगी इसे समझा जा सकता है। क्योंकि इस परियोजना के कारण न केवल उनके आवास को नुकसान होगा। साथ ही, उन्हें जोड़े रहने वाले रास्तों पर भी इसका असर पड़ेगा।

गौरतलब है कि यह परियोजना

इनका कहना है

कम विनाशकारी विकल्प होना चाहिए

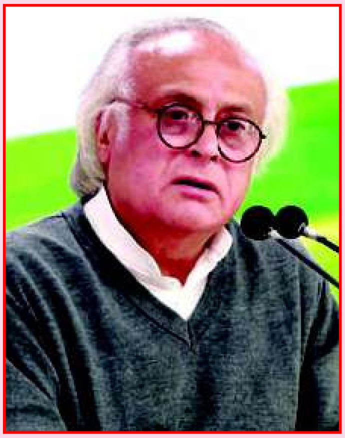

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को एक गंभीर खतरा है। इस परियोजना से टाइगर रिजर्व का 10 प्रतिशत मुख्य क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। यह परियोजना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कोई कम विनाशकारी विकल्प होना चाहिए। यह विनाश की परियोजना है। क्षेत्र की वानस्पतिक संपदा के साथ-साथ वन्यजीव नष्ट हो जायेंगे। विकास के लिए प्राकृतिक का विनाश करना समझदारी नही है। समय रहते सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के रहवासियों के लिए भी सरकार द्वारा कोई स्थाई समाधान नहीं खोजा गया है।

जयराम नरेश, कॉंग्रेस नेता

हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है

केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे भविष्य की चिंता लेकर आयी है। परियोजना के पहले सरकार को हम जैसे हजारों लोगों के भविष्य के विषय में भी सोचना चाहिए। जब हमारी आजीविका ही चली जायेगी तो हम जीवन का गुजर बसर कैसे करेंगे। सरकार द्वारा जो मुआवजा दिया जायेगा वह न के बराबर है। न घर बचेगा और न ही जमीन बचेगी। अब हमारे बच्चों का क्या होगा। अन्याय हो रहा है। हमारी धरोधर नष्ट हो जायेगी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। योजना बनाने के पहले सरकार को इन विषयों पर भी विचार करना चाहिए। वाकई में सरकार को हमारे विकास की चिन्ता है तो पहले हमारी आजीविका के विषय में भी तो सोचना चाहिए। हम बेघर हो गए हैं। आजीविका के लिए दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर होंगे।

अजय प्रताप सिंह, नैगुवां निवासी

बुंदेलखंड में लोगों की प्यास बुझाने और सूखे का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। भले ही सरकार की देश में सिंचाई और पीने के पानी की समस्याओं को हल करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है, जिसके लिए बड़े बांधों का

इनका कहना है

अनपढ़ हैं पीड़ित, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई जमीन

हम लोगों को आवंटन में जमीन मिली थी। वर्षों से खेती कर रहे हैं। करीब 30 से 35 परिवार हैं, जिनकी जमीन जा रही है लेकिन मुआवजा नही मिल रहा है। आदिवासियों को सरकार द्वारा सरकारी जमीन के पट्टे दिए गए थे। लेकिन वह नेट पर नही दर्ज हुई। इस कारण इनका अवार्ड में नाम नहीं आया। मात्र 4 से 5 एकड़ जमीन थी, वह चली गई है। अब बच्चे भूखे मरने और बर्बादी की कगार पर आ जायेंगे। हमारा परिवार बेघर हो जायेगा। अब पता नहीं हमारी आजीविका कैसे चलेगी। जो मुआवजा दिया जायेगा वह न के बराबर है। सवाल है वह मुआवजा कितने दिनों तक चलेगा।

मुलु आदिवासी, बृजपुरा गांव

सरकार पलायन के लिए मजबूर कर रही

घर बिल्कुल केन नदी के किनारे है। इस वजह से सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में इन्हें कभी पानी की समस्या नहीं हुई। टाइगर रिजर्व के अंदर के सभी गांव आदिवासी बाहुल्य हैं। दशकों से इनकी निर्भरता वनस्रोतों पर रही है। घर का मुआवजा लगभग 01 लाख 18 हजार रुपए मिला है। वे भूमिहीन हैं, इसलिए इसके अलावा 12.5 लाख रुपए का विशेष अनुदान मिलेगा। भविष्य की चिंता सता रही है। ये कुल 14 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? एक प्लॉट खरीदकर घर बनाने में ही सारा पैसा खत्म हो जाएगा। हम तो आदिवासी समुदाय से हैं। बरसों से जंगल पर आश्रित रहे हैं, इसलिए वनस्त्रोतों से पलना हमारे लिए आसान था। मगर, जंगल से बाहर जब हमें विस्थापित किया जाएगा। हमारे पास कोई जमीन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे?

गौरीशंकर, ढोढन गांव

भूमिहीन आदिवासियों को सरकार ने दिए थे पट्टे

हमारी जमीन केन-बेतवा परियोजना में जा रही है। ये जमीन सरकार द्वारा वर्ष 2002-2003 में आदिवासी भूमिहीन परिवारों को पट्टे देकर आवंटित की गई थी। इसको तत्कालीन देवरा मंडल के तहसीलदार द्वारा भू-अधिकार पुस्तिका भी दी गई थी, लेकिन ये भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से मुआवजा राशि नहीं मिली। जो जमीन हमको मिली थी, वह नेट पर नहीं चढ़ी। हम लोग सालों से उसी भूमि पर खेती कर रहे हैं। हम लोग अनपढ़ हैं। अब हम लोगों को भगाया जा रहा है। कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम गरीब लोग हैं। जहां पीढियों से रह रहे हैं। परियोजना के कारण हमें खदेड़ा जा रहा है। हम कहां जायेंगे, कैसे गुजर-बसर करेंगे।

सुदामा आदिवासी, नैगुवां निवासी

निर्माण किया जाएगा। लेकिन साथ ही इन बड़ी परियोजनाओं ने जीवों और पेड़-पौधों की जैव विविधता के लिए संभावित खतरे भी पैदा कर दिए हैं। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी और सूखे की समस्या को हल करने

इनका कहना है

पीढ़ियों की पहचान खत्म हो गई

हम लोग पीढियों से यहां रह रहे हैं। यह हमारी आजीविका है। हम गरीब लोग हैं। यहां पर रच बस गये हैं। अन्य जगह जाकर अपने आपको ढालना मुश्किल होगा। हमारी संस्कृति, परंपरा सब नष्ट हो गई है। विकास के नाम पर परियोजना लायी गई है लेकिन उससे पहले तो क्षेत्र के हजारों लोगों का विनाश कर दिया है। यह किस तरह का विकास है। सरकार को सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए था। हमारा तो बजूद ही खत्म हो गया है। अब हमारे सामने हमारा भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। सरकार ने परियोजना को लाकर लाखों लोगों की आजीविका छीनी है।

मानिक रैकवार, ढोंगन गांव निवासी

आमरण अनशन पर बैठे सैकड़ों लोगों की आवाज सरकार ने नही सुनी। यह वह लोग हैं जो शुरूसे ही परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

के लिए केन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया है। इस परियोजना के तहत 176 किलोमीटर की लिंक कनाल का निर्माण किया जाएगा, जिससे केन और बेतवा नदी को जोड़ा जा सके। सरकार का दावा है कि इससे पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस बारे में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में जानकारी दी है कि इस परियोजना के चलते 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। साथ ही मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के करीब 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा के भाई अजय शर्मा बने प्रदेश के सुपर गृहमंत्री!

लूटपाट और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रहे शर्मा

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया है। दिन-ब-दिन उनका किसी न किसी विषय को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। नया विवाद उनके बड़े भाई अजय शर्मा को लेकर है। अजय शर्मा अपने क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश में सुपर गृहमंत्री की तर्ज पर अनैतिक कार्यों को अंजाम देने में जुटे हैं और सरकार के गृहमंत्री विजय शर्मा अपने भाई की काली करतूतों पर आंखें बंद किये हुए हैं। खुलेआम गुंडागर्दी, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गोरखधंधे का ऐसा जाल फैलाया है कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। यह सरासर गृहमंत्री की सरपरस्ती में फल-फूल रहा है। आरोप हैं कि मंत्री का भाई अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर में खुलेआम पैसे की वसूली कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि विभागीय पोस्टिंग का रेट तय कर लिये गये हैं और बिना अजय शर्मा की सिफारिश और सुविधा शुल्क के किसी अधिकारी का तबादला संभव नहीं है। कई अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंत्री के भाई के हस्तक्षेप से पुलिसिंग की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था पूरी तरह चरमराई नजर आ रही है। अधिकारी कहते हैं कि गृहमंत्री का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बल्कि राजनीतिक मैनेजमेंट और व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ाने पर रहा है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कवर्धा और कोरबा जैसे जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में निरंतर वृद्धि ने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

भाई अजय शर्मा चला रहा गृह मंत्रालय!

सूत्रों का कहना है कि अजय शर्मा सिर्फ गृह मंत्रालय में ही घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। वह नगर निगम, आरटीओ, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। सभी विभागों के ठेकेदारों का भुगतान अजय शर्मा से मुलाकात के बाद होता है। निश्चित ही इसमें अच्छी खासी रकम कमीशन के तौर पर अजय शर्मा को मिलती है। अजय शर्मा के इस रवैये से ठेकेदार भी काफी परेशान हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नही है। गृहमंत्री का हाथ होने के कारण ठेकेदार भी डरे हुए रहते हैं।

कार्यकर्ताओं से विजय शर्मा का बुरा व्यवहार

कवर्धा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। क्योंकि गृहमंत्री विजय शर्मा का व्यवहार बहुत खराब हो गया है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं। कार्यकर्ता काम करवाने के लिए आते हैं तो मंत्री कहते हैं काम चंदा

करके करवा लो। मैं भी कुछ मदद कर दूंगा। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के समय सरपंच और लोगों ने चंदा करके पैसे दिये थे। अब उनके ही काम नहीं हो रहे तो वह नाराज हैं। इसके साथ अब अजय शर्मा का सरकार में दखल हो गया है तो काम बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं।

भाई की करतूतों में गृहमंत्री का खुला संरक्षण

यह भी सच है कि आज जो प्रदेश में गृहमंत्री के भाई अजय शर्मा का काला साम्राज्य खड़ा हो रहा है उसमें विजय शर्मा का पूरा संरक्षण हैं। बिना विजय शर्मा के उसका भाई खुलेआम लूट खसोट नहीं कर सकता है। आज प्रदेश में इसी बात को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सूत्र बताते हैं कि गृहमंत्री को लगने लगा है कि आने वाले समय में उनका चुनाव जीतना मुश्किल है क्योंकि विजय शर्मा की छवि काफी खराब हो चुकी है। यही कारण है कि वह भाई के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। नाम भले ही भाई का आ रहा हो लेकिन पूरा सपोर्ट गृहमंत्री का बताया जा रहा है।

टेंट भी हटा लिया है अजय शर्मा ने

कवर्धा में अजय शर्मा के आवास पर पुलिस का टेंट लगा था, अब उसे हटा दिया गया है क्योंकि यहीं से अजय शर्मा की सारी अवैध वसूली होती है। अजय शर्मा को डर था कि कहीं इसका पता लोगों को न चल सके। पूरा गोरखधंधा यही से संचालित होता है।

आंकड़ों में बयां होती अपराधों की हकीकत

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि विजय शर्मा के कार्यकाल में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले डेढ़ साल में राज्य में बलात्कार के 2682 मामले दर्ज किए गए, वहीं छेड़छाड़ की

यह है गृहमंत्री विजय शर्मा के भाई अजय शर्मा। जो आजकल पूरे छत्तीसगढ़ में आतंक मचाये हुए है। जबरन अवैध वसूली भ्रष्टाचार अजय शर्मा का पेशा बन गया है।

5174 घटनाएं सामने आईं। लूट के मामलों में 38 प्रतिशत, डकैती में 44 प्रतिशत और चोरी की घटनाओं में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ। इन आंकड़ों ने विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के भीतर भी गृहमंत्री की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े करने का मौका दे दिया है। राज्य की कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते आम लोगों में भय, असुरक्षा और शासन के प्रति गहरा अविश्वास पनप रहा है। आज छत्तीसगढ़ राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चुप्पी क्यों?

राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आखिर कब तक इस बदहाल स्थिति पर चुप्पी साधे रहेंगे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री खुद भी गृहमंत्री के कार्य से असंतुष्ट हैं लेकिन राजनीतिक संतुलन साधने के लिए उन्होंने अभी तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया। विपक्ष का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं। गृहमंत्री पूरी तरह नाकाम हैं।

बिहार-यूपी जैसे हालात बनते जा रहे हैं

छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बिहार, यूपी से भी ज्यादा डरावनी हो गयी है। गृहमंत्री विजय शर्मा राज्य को मणिपुर की तरह जलते हुये देखना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश में पहली बार जातीय आधार पर संघर्ष होता देखा गया। राजधानी के सकरी गांव में दंगा हो गया, एक घर में आग लगा दी गई, वाहनों को जला दिया गया, यदि परिवार वाले गांव छोड़कर नहीं जाते तो 11 सदस्य का पूरा परिवार घर में जिंदा जल गया होता।

गृहमंत्री बनते ही दो महीने में हुए 54 नक्सली हमले

विजय शर्मा के गृहमंत्री बनने के बाद राज्य में एक दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक राज्य में 54 नक्सली घटनाएं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबल के सात जवान तथा एक गोपनीय सैनिक शहीद हुआ है। इस दौरान 53 जवान घायल हुए तथा आठ नक्सली भी मारे गए हैं। नक्सली घटनाओं में सुकमा जिले में चार जवान शहीद हुए हैं तथा 25 जवान घायल हुए हैं। वहीं बीजापुर जिले में दो जवान शहीद हुए हैं तथा 21 जवान घायल हुए हैं। जिले में मुठभेड़ में चार नक्सली भी मारे गए हैं।

आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की हालत के कारण गृहमंत्री विजय शर्मा हैं। बीते डेढ़ वर्ष में बलात्कार, छेड़छाड़, लूटमार, चोरी और हिंसक अपराधों में भारी वृद्धि ने यह साबित कर दिया है कि गृहमंत्री राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने में बुरी तरह विफल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। यदि वे गृहमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं तो जनता के बीच उनकी छवि मजबूत होगी। वहीं यदि चुप्पी साधे रहते हैं तो विपक्ष इसे उनके नेतृत्व की कमजोरी करार देगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है कि राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार कब सख्त निर्णय लेगी। गृहमंत्री विजय शर्मा के लिए भी यह आखिरी मौका है कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और साबित करें कि वे इस जिम्मेदारी के योग्य हैं। अन्यथा न केवल उनकी राजनीतिक साख दांव पर है बल्कि भाजपा सरकार की विश्वसनीयता भी।

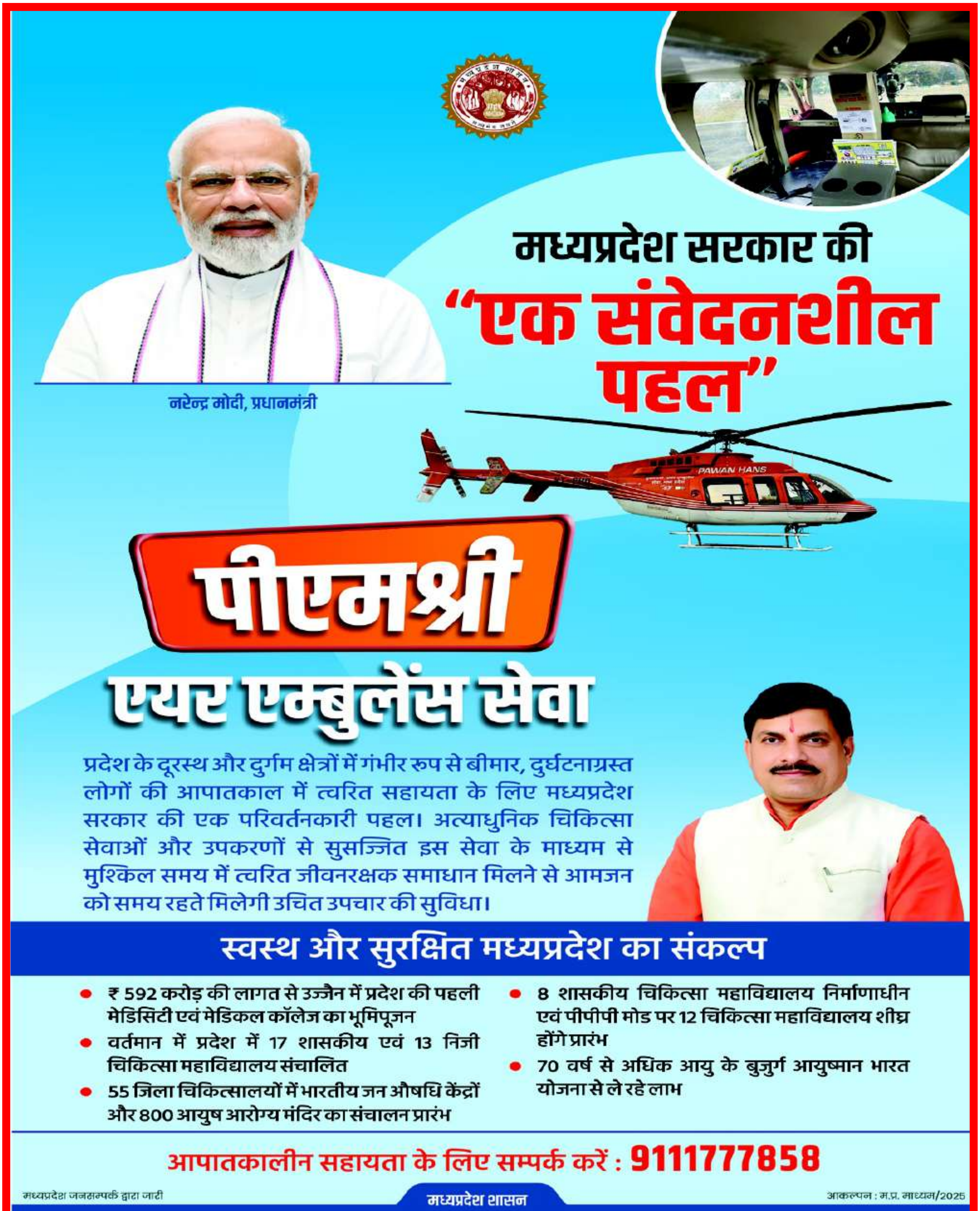
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
मध्यप्रदेश सरकार की
"एक संवेदनशील पहल"
PAWAN HANS
पीएमश्री
एयर एम्बुलेंस सेवा
प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमार, दुर्घटनाग्रस्त लोगों की आपातकाल में त्वरित सहायता के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल। अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं और उपकरणों से सुसज्जित इस सेवा के माध्यम से मुश्किल समय में त्वरित जीवनरक्षक समाधान मिलने से आमजन को समय रहते मिलेगी उचित उपचार की सुविधा।
स्वस्थ और सुरक्षित मध्यप्रदेश का संकल्प
₹ 592 करोड़ की लागत से उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
वर्तमान में प्रदेश में 17 शासकीय एवं 13 निजी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित
55 जिला चिकित्सालयों में भारतीय जन औषधि केंद्रों और 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ
8 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय निर्माणाधीन एवं पीपीपी मोड पर 12 चिकित्सा महाविद्यालय शीघ्र होंगे प्रारंभ
70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना से ले रहे लाभ
आपातकालीन सहायता के लिए सम्पर्क करें : 9111777858
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
मध्यप्रदेश शासन
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश
अनंत संभावनाएं
उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
प्रदेश के कृषि फीडर्स को सौर ऊर्जीकृत करने का अभियान
नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध होता मध्यप्रदेश
व्यापक निवेश अवसर
सूर्य मित्र
कृषि फीडर योजना
योजना के प्रमुख उद्देश्य
मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना
नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार
सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता सौर परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय

प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित हैं बाढ़ की आपदाएं

विजया पाठक

हाल ही में मध्यप्रदेश के अधिकांश हिस्सोंद में सामान्य से अधिक बारिश हुई। बरसात भले ही सामान्य रही हो लेकिन इसने नदियों में, शहरों में, गावों में कहर बरपा दिया। हालात बद से बदतर हो गये। नदी नालों के किनारे बने घरों के अंदर पानी घुस गया। हजारों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। नदी-नाले उफान पर होने से सड़कों से संपर्क टूट गया। वहीं शहरों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गये। नालों का पानी घरों के अंदर घुसा। बड़े शहरों में तो लोगों के एक-एक मंजिल पानी में डूब गया। खासकर रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर, शिवपुरी, भिण्ड, गुना, श्योपुर, मंडला, शिवपुरी, डिण्डोरी, नर्मदापुरम आदि जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। इन जिलों के लोगों ने काफी मुसीबतों का सामना किया। आज भले ही इसे लोग प्राकृतिक आपदा के रूप में देख रहे हैं लेकिन सच्चाई में यह विनाशकारी आपदा मानव निर्मित ही है। वर्तमान में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति एक गंभीर समस्या बन गई है और यह समस्या साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। यह स्थिति न केवल प्राकृतिक कारणों से है, बल्कि मानव गतिविधियों के कारण भी बढ़ रही है। अत्यधिक बारिश, नदियों का जल स्तर बढ़ना और बांधों से पानी छोड़ना बाढ़ के मुख्य प्राकृतिक कारण हैं। इसके अतिरिक्त, वनों की कटाई, शहरीकरण और नदियों के किनारों पर अतिक्रमण जैसी मानव निर्मित गतिविधियाँ भी बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाती हैं। मध्यप्रदेश में, बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, शहरी नियोजन, नदी प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के प्रभावी उपाय करके, बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। हैं।

मध्यप्रदेश में बाढ़, मुख्य रूप से अत्यधिक मानसूनी वर्षा और नदियों के उफान के कारण आती है। इसके कारण,

सड़कों, घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है, जिससे जानमाल की हानि और आर्थिक विस्थापन होता है। बाढ़ के समाधानों में बेहतर जल प्रबंधन, शहरी नियोजन, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपाय शामिल हैं। बाढ़ एक गंभीर समस्या है जो मध्य प्रदेश में अक्सर होती है। इसके कारणों को संबोधित करना और प्रभावी समाधानों को लागू करना, बाढ़ के प्रभाव को कम करने और लोगों और संपत्ति की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मध्यप्रदेश में औसतन 1160 मिमी बारिश होती है। यह बारिश मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में अधिक होती है और उत्तर-पश्चिम की ओर कम होती जाती है। अधिकांश वर्षा दक्षिण एशियाई मानसून से जून के महीने में होती है। मध्य प्रदेश में 16 जून को मानसून ने एंट्री ली थी जिसके बाद से लगातार कई क्षेत्रों तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक औसतन 6.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 2 इंच ज्यादा है। मध्यप्रदेश में सीजन में सामान्य रूप से 37.36 इंच बारिश होती है। अब तक 6.8 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन का 10 प्रतिशत है।

हर साल बढ़ रहा बाढ़ का खतरा

भारत में शहरी बाढ़ का ख़तरा तेजी से बढ़ा है। हाल के वर्षों में कई शहरों में महत्वपूर्ण बाढ़ की घटनाएं दर्ज़ की गई। हैदराबाद में 2020 और 2021,नवंबर 2021 में चेन्नई में, 2022 में बेंगलुरु में और अहमदाबाद, जुलाई 2023 में दिल्ली के कुछ हिस्सों में और सितंबर 2023 में नागपुर में बाढ़ आई जिसने कई लोगों को शहर छोड़कर जाने को मजबूर किया। हरियाणा के चंडीगढ़ और गुरूग्राम, बिहार के पटना और गया, महाराष्ट्र में पुणे, राजस्थान में जयपुर और सीकर, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, उत्तर प्रदेश में लखनउ, केरल के कोच्चि जैसे छोटे शहरों में और पहाड़ी राज्यों में कई जगह जैसे उत्तराखंड में देहरादून और हिमाचल प्रदेश में शिमला को भी हाल के वर्षों में बाढ़ का सामना करना पड़ा है। 2000 और 2019 के बीच, भारत में 321 आपदा की घटनाएं दर्ज़ की गई जो चीन (577) और अमेरिका (467) के बाद दुनिया भर के सभी देशों में तीसरे स्थान पर थी। जलवायु परिवर्तन की समस्या का और बदतर होना निश्चित रूप से इस स्थिति को आने वाले समय में और भयावह बना देगा।

असली चुनौती शहरी बाढ़

सामान्यन बारिश और भारी बारिश की असली चुनौती है शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ की बढ़ती घटनाओं से स्थानीय बुनियादी ढांचे, व्यवसायों और मानव जीवन को काफी नुकसान होता है जिसका स्थानीय, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक केंद्र होने के कारण शहर की गतिविधि में किसी भी रूकावट के परिणामस्वरूप भारी वित्तीय नुक़सान होता है। सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बिजली व्यवस्था ठप पड़ जाती है, गंदगी का अंबार लग जाता है, नालों के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी टूट जाती हैं। ऐसी घटनाओं के बाद शहर के बुनियादी ढांचे को फिर से उपयोग करने से पहले पुनर्निर्मित या मरम्मत करना होता है और इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम होता है, शहरों को हैजा और मलेरिया जैसी संभावित बीमारियों से बड़ी मात्रा में जूझना पड़ता है। आमतौर पर सड़कों के किनारे पर बने पानी के नालों को फुटपाथ, सड़कों और छतों जैसी सतहों से अतिरिक्त पानी निकालने और इस पानी को एक बड़ी जल प्रणाली में खाली करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। भारत के अधिकांश शहरों में ये पानी की नालियां या तो नहीं हैं और जो हैं उनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। समय के साथ या तो वे बंद हो जाते हैं या उनकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, जल निकास प्रणाली भी शहर के विकास के साथ तालमेल रखने में विफ़ल है। असामान्य रूप से भारी बारिश भी आम हो गई है। यह सब घटना स्थानीय परिस्थितियों के साथ मिलकर शहरी बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि लाती है। बाढ़ की घटनाएं सामान्य जीवन को बाधित करती हैं, आर्थिक विस्थापन का कारण बनती हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं और यहां तक कि जानमाल का भारी नुक़सान भी हो सकता है। हाल के दशकों में कई बड़े और छोटे भारतीय शहरों को बाढ़ की घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

एसआईआर को लेकर मचा घमासान

विजया पाठक

बिहार में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा के आम चुनाव हैं उससे पहले ही राज्य में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को घमासान मच गया है। खासकर विपक्षी पार्टियां एक होकर केन्द्र सरकार पर हमलावर हो गई हैं। और इस प्रक्रिया को एक साजिश के रूप में देख रही हैं। हम जानते हैं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि मतदाता सूची विश्वसनीय न हो। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार में 2003 के बाद से मतदाता सूची का कोई व्यापक पुनरीक्षण नहीं हुआ है। जिसके कारण कई गलतियां और अनियमितताएं देखने में आईं हैं। बिहार में करीब 08 करोड़ मतदाता हैं। मतदाता सूची में आमतौर पर कई तरह की त्रुटियां होती हैं- जैसे कि डुप्लिकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम या अपात्र व्यक्तियों मतदाता सूची में होना आदि जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। पर बिहार में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में कतई नहीं होना चाहिए। पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कई तरह की अनियमितताओं को दूर करना है। जैसे कुछ जिलों जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में आधार कार्ड धारकों की संख्या आबादी से अधिक (100 प्रतिशत से उपर) पाई गई है। जाहिर है कि यहां अवैध अप्रवासी हैं जो निश्चित रूप से फर्जी वोट भी बनवा लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि ऐसे फर्जी वोटर्स का काम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को भी प्रभावित करना होता है। पुनरीक्षण के माध्यम से, आयोग यह सुनिश्चित करता है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही मतदान करें, जो संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। जाहिर है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। अगर कायदे से

सूची से हटा दिए जाएंगे। मतदाताओं के इतने महत्वपूर्ण हिस्से का पता लगाने में असमर्थता ने मतदाता पंजीकरण रखरखाव में संभावित प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में मुश्किल से 4 महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरूकर दी है और वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही है। नए सिरे से वोटरों को पहचान पत्र से संबंधित कागजात उपलब्ध कराने की प्रक्रिया विचाराधीन है। आयोग की ओर से दो महीने का समय तय किया गया है लेकिन राजनीतिक दलों ने प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। महागठबंधन की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही जा रही है। बिहार में चुनाव आयोग ने नए मतदाता पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे पहले चुनाव आयोग में सही मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया के तहत पहचान

देखें तो नुकसान तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को भी हो रहा है। चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बिहार की विपक्षी पार्टियां ही सवाल नहीं उठा रही हैं बल्कि आम लोगों के मन में भी कई तरह की आशंकाएं हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को लाभ पहुंचाने के लिए यह कवायद हो रही है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इस आरोप का खंडन किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है।

एसआईआर में पहले चरण के आंकड़ों में सामने आया है कि लगभग 36 लाख मतदाता या तो लापता हैं या अपने पंजीकृत पते से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बाद मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं देश भर में होने वाले एसआईआर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक दल मतदाता सूची की शुद्धता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुनरीक्षण के बाद इन मतदाताओं के नाम

पत्र दिखाने के लिए 11 तरह के कागजात उपलब्ध कराने को मतदाताओं को कहा गया है। 11 विकल्प में आधार कार्ड को विकल्प नहीं माना गया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि एसआईआर में भाग नहीं लेने वाले मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र भी पहली अगस्त को प्रारूप का प्रकाशन होने के साथ ही अमान्य हो जाएगा। लगभग 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की शुरूआत की गई है। 25 जून से राज्य में सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ 89 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए नए गणना प्रपत्रों की छपाई एवं घर-घर वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

सात लाख मतदाताओं का दो जगह मिला पंजीकरण

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के सात लाख मतदाता कई स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं 36 लाख लोग या तो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या फिर उनका पता ही नहीं चला। अब तक 7.24 करोड़ या 91.69 प्रतिशत मतदाताओं से गणना फार्म प्राप्त हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में बिहार की वर्तमान मतदाता सूची (करीब 7.9 करोड़) के 99.8 फीसदी हिस्से को कवर कर लिया है। आयोग ने बयान जारी कर कहा कि मतदाता सूची में 22 लाख नाम ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। वहीं 7 लाख के करीब नाम दो या दो से अधिक जगहों पर दर्ज पाए गए हैं।

एसआईआर पर क्यों हो रहा विवाद?

पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्देश दिया था। यह 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना था। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और दो जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को हटाने के उद्देश्य से पुनरीक्षण किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा सकता है। हालांकि, चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कानून और संविधान के तहत उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सके, ताकि लोगों को

मताधिकार मिल सके।

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे संक्षिप्त गहन मतदाता सूची संशोधन अभियान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक ने इस प्रक्रिया को गरीब विरोधी, असंवेदनशील और पक्षपातपूर्ण' करार देते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कांग्रेस, राजद और वाम दलों समेत INDIA ब्लॉक के प्रमुख घटक दलों ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया 20 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया से लगभग दो करोड़ मतदाताओं के सूची से बाहर होने का खतरा है। 2003 के बाद ऐसा गहन संशोधन पहली बार हो रहा है। 22 सालों में 4-5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं- क्या वे सभी गलत थे? अब अचानक इस स्तर का दस्तावेज़ीकरण क्यों? विपक्ष का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी आबादी के पास मूलभूत कागजात नहीं हैं, वहाँ इस प्रकार के दस्तावेज़ मांगना अनुचित है।

क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)?

निर्वाचन आयोग ने 24 जून को बिहार के आठ करोड़ मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्यापन शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस प्रक्रिया के अनुसार, राज्य के सभी मतदाताओं को अपने नाम, पते और फोटो के साथ प्रपत्रों की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने होंगे और उन्हें नए फोटोग्राफ और निवास के वैध प्रमाण के साथ वापस भेजना होगा। हालांकि, जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

60 लाख मतदाता कौन?

यह भी सवाल है कि वो 60 लाख मतदाता कौन हैं, जिनका नाम लिस्ट से हटाया जाना है। आशंका है कि ये वोटर बिहार के सीमांचल जिले, जो बांग्लादेश और नेपाल से लगते हैं, ऐसे क्षेत्रों के हो सकते हैं, लेकिन यह 1 अगस्त के बाद ही पता चलेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को स्वयं मोटो जांच शुरू करने का भी अधिकार है, अगर उसे किसी मतदाता का मामला संदिग्ध लगता है। इसके लिए नोटिस 1 अगस्त के बाद जारी किए जाएंगे।

समाजवाद-धर्मनिरपेक्षता संविधान की आत्मा है

रघु ठाकुर

संघ परिवार की ओर से 26 जून आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर देश के लगभग सभी भाजपा के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेता सहभागी रहे। बहुत संभव है कि, अपने कार्यकाल के 11वें वर्ष में प्रधानमंत्री जी को आपातकाल, मीसाबंदियों और संविधान हत्या दिवस की याद इसलिये भी आई हो क्योंकि आजकल कांग्रेस के लोग संविधान की प्रति लिये घूम रहे हैं और कभी उसकी प्रस्तावना को लेकर सुनाते हैं या फिर हाथ में संविधान की प्रति लेकर फोटो निकलवाते हैं। इस राजनैतिक हथकंडे का प्रति उत्तर देने के लिए शायद यह प्रयोग भाजपा के नेतृत्व ने रणनीति के तौर पर तय किया हो। इस बार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ने भी मीसाबंदियों की लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनकी विशेष चर्चा की। जबकि कुछ वर्ष पूर्व जब लोकतंत्र सेनानी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में अमित शाह से मिलने गया था और उनसे मीसाबंदियों के लिये आयुष्मान योजना में शामिल करने व अन्य सुविधाओं को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था तब उन्होंने कहा (जैसा की कैलाश सोनी ने बताया था) कि मैं देखूँगा हालांकि मैं इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ। मीसाबंदियों उर्फ लोकतंत्र सेनानियों को श्री राहुल गांधी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहिए, कि उनके संविधान बचाओ अभियान का कम से कम इतना तो लाभ उन्हें मिला कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के मुख से मीसाबंदियों के त्याग व कुर्बानी के किस्से शुरू हो गये। हालांकि और भी अच्छा होता कि अगर राहुल गांधी आपातकाल की घोषणा की आलोचना करते और स्वतः मीसाबंदियों के पक्ष में खड़े होकर उनके लिये सहयोग की बात करते। वे कह सकते थे कि जो सही भी था कि वे तो उस समय एक कम उम्र के युवा थे जिन्हें इस सब घटनाक्रम के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था।

यह जो अवसर इस बहस के नाम पर प्रधानमंत्री और संघ परिवार के हाथ में आया है उससे उसने चतुराई से एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। 26 जून को संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गये समाजवादी और धर्म निरपेक्ष्य शब्दों की समीक्षा होना चाहिए जिन्हें आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और यह स्व. वीआर आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। आपातकाल के दौरान भारत

के संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जोड़े गये। और उन्होंने यह भी कहा कि यह शब्द प्रस्ताव में रहना चाहिए या नहीं इस पर भी विचार होना चाहिए। देश के कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी इस अवसर को तत्काल भुनाया और बनारस में कहा कि सर्वधर्म सदभाव्य भारतीय संस्कृति का मूल्य है, धर्म निरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल्य नहीं है और इसलिये इस पर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। इस बहस में 28 जून को देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो गये थे और उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार एक कदम आगे बढ़कर कहा कि प्रस्तावना में जोड़े गये यह शब्द धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद नासूर हैं और सनातन का अपमान है। यह हजारों वर्ष से इस देश की सभ्यतागत संपदा व ज्ञान को कमतर आंकने के अलावा कुछ नहीं है। यह सनातन की भावना का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावना बीज होती है जिस पर संविधान विकसित होता है, भारत के अलावा किसी दूसरे देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया। यह भारत में 42वाँ संविधान संशोधन के जरिये हुआ। इस बीच आरएसएस से संबंधित पत्रिका में 27 जून को एक लेख में कहा गया कि समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का आव्हान इसे तहस नहस करने का नहीं बल्कि आपातकाल की नीतियों की विकृतियों से इसके मूल भावना को बहाल करने की है।

इन तीनों महानुभावों के बयानों के पीछे अपने-अपने उद्देश्य हैं। होसबले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह हैं और यह निर्विवाद तथ्य है कि संघ वर्तमान संविधान को मौलिक रूप से ही बदलना चाहता है ताकि हिंदू राष्ट्र के अनुकूल संविधान बनाया जा सके और संघ की सुनियोजित रणनीति रहती है कि किसी भी प्रश्न को राष्ट्रीय बहस का मुददा बनाने के कई वर्ष पहले से वह उस पर काम शुरू करता है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण, समान नागरिक संहिता, कश्मीर को लेकर धारा- 370 को हटाना, आदि अभियान इसके उदाहरण हैं और ऐसा लगता है कि अब संघ ने संविधान के प्रावधानों को बदलकर अपने अनुकूल बनाने की 26 जून से विधिवत और औपचारिक अभियान शुरू कर दिया है। संघ की कार्यशैली बहुत सोची समझी होती है और वे किसी शीघ्रता में नहीं होते। वैसे यह गुण अनुकरणीय है और सभी राजनैतिक दलों, व्यक्तियों और परिवर्तनकारी शक्तियों के लिये यह तरीका अपनाना चाहिए, परंतु सत्ता लोलुपता आमतौर पर इनसे जल्दबाजी में निर्णय कराती है। सत्ताकांक्षी होना बुरा नहीं है पर सत्ता लोलुप होकर ठोकरें खाना बुरा होता है। संघ सत्ताकांक्षी है और देश के नेता अपवाद छोड़ें तो सत्ता लोलुप हैं। जैसी की आशंका थी संघ ने इसके लिये विभिन्न अभियान चलाने की घोषणा 4 जुलाई 25 को कर दी है।

जगदीप धनखड़ ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पद पाने के लिये बहुत शीघ्रता में थे और वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो न केवल उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं थे बल्कि शिष्टता की सीमा के भी परे थे। हमारे यहां कहावत है कि श्नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता हैय शायद यही उनकी

स्थिति थी। शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अपने आप में कुछ असुरक्षित महसूस करते हैं और संघ को अपनी उपयोगिता सिद्ध करते रहना चाहते हैं। यह निर्विवाद है कि ये शब्द आपातकाल में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे परंतु यह कहना कि श्री वीआर आंबेडकर के द्वारा प्रस्तावित संविधान के यह विपरीत है, यह तथ्यपरक नहीं है। संविधान निर्माण प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर थे और उन्होंने संविधान सभा में हुई बहसों पर जो आम राय बनी उन्हें ही प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया था परंतु संविधान की अपूर्णताओं को उन्होंने भी दुख के साथ व्यक्त किया था। संविधान सभा की बहसों में देखा जा सकता है कि बाबा साहेब संविधानिक समाजवाद के पक्ष में थे, याने वे चाहते थे समाजवादी व्यवस्था के लिये संवैधानिक प्रावधान बने परंतु उस समय की संवैधानिक सभा में उनकी कल्पना मूर्त रूप नहीं ले सकी, जिसका उन्हें दुख भी रहा। बाद में उन्होंने यहां तक कहा कि श्लोग कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है परंतु शायद मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होउँगा।य यह उनकी निराशा व पीड़ा थी। जब वे प्रगतिशील विचारों के कानून हिंदू कोड बिल संसद में पेश नहीं कर सके तब भी उनकी निराशा सार्वजनिक रूप से व्यक्त हुई थी।

जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव का संबंध है, यह दोनों ही शब्द एक अर्थ में समानार्थी हैं। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्महीनता से नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्षता के दो अर्थ होते हैं, एक राज्य किसी से भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और दूसरे हर व्यक्ति अपनी-अपनी इच्छा से धर्म मानने को स्वतंत्र है। सर्व धर्म समभाव, यह एक आशाजनक शब्द है जो हर व्यक्तिको अपने धर्म को मानने के साथ-साथ अन्य धर्मों को भी उसी समता के भाव से देखने का संदेश देता है। निःसंदेह यह शब्द बहुत सुंदर है परंतु उसकी व्यावहारिकता व

उपयोगिता पर विचार होना चाहिए। क्या यह मानवीय रूप से संभव है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक धर्म को माने और दूसरे धर्म को भी उसी भाव से देखे। यह एक अतिमानवीय कल्पना है जो व्यावहारिक कम शाब्दिक अधिक है। जो व्यक्ति किसी एक धर्म को मानता होगा तो स्वाभाविक है कि वह उस धर्म को इसलिये मानता होगा कि उसकी नजरों में वह धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। सर्व धर्म समभाव व्यावहारिक रूप से तभी संभव है जब दुनिया का धर्म एक हो जाए। और यह अनुभव अब छिपा हुआ नहीं है कि भारत से लेकर दुनिया में जो भी धर्म गुरु हैं वह अपने अधर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, दूसरे धर्मों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निंदा करते हैं। अगर सर्वधर्म समभाव मानना व्यक्ति के लिये व्यावहारिक होता तो फिर यह धर्म परिवर्तन की समस्या क्यों होती? हमारे देश में ही हिंदू और सनातन के ठेकेदार लव जेहाद और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये कानून बनाने को क्यों लाचार हैं? हिंदु संस्थायें और नेता भी घर वापिसी का अभियान चला रहे हैं यह क्या है? और अगर सर्व धर्म समभाव है या हो सकता है तो इन्हीं विचारों की जमातों के लिये इसकी जरूरत क्यों पड़ी।

निःसंदेह भारत के वेदों और उपनिषिदों में कई ऐसे श्लोक हैं जो समता और विश्व मानवता पर आधारित हैं अगर वेदों को सनातन माना जाये तो फिर तो समाजवाद, धर्मनिपरेक्षता एक अर्थ में भारत का सनातन है। जब हिंदू दर्शन कहता है कि कण-कण में भगवान हैं वसुधैव कुटुम्बकम्य आसमान के तारे सबको समान होना आदि-आदि तो क्या यह समाजवाद नहीं है। समाजवाद एक शब्द है जिसमें व्यवस्थागत समता निहित है और सनातन एक शब्द है जिसमें भावगत समता निहित है। मेरी राय में तो समाजवाद और सनातन एक है और एक दूसरे के पर्याय हैं, जो दुनिया को ईश्वर या अल्लाह के द्वारा समान बनाये जाने व मानने के सिद्धांत हैं। ईश्वर या अल्लाह, क्राईस्ट्र या किसी भगवान ने इंसान इंसान को समान गढ़ा है, शरीर के अंगों में कोई फर्क नहीं किया है याने समता और समाजवाद यह ईश्वरीय विधान है। यह विचित्र है कि संघ व भाजपा के मित्रों को आपातकाल में संविधान में प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गये शब्दों पर तो आपत्ति है परंतु आपातकाल में ही किये गये पूर्व सांसदों व विधायक की पेंशन स्वीकार्य है। यह तो बगैर संशोधन की संतान हैं, जिन्हें केवल एक कानून रद्द कर समाप्त किया जा सकता है। संविधान में पूर्व सांसदों, विधायकों को पेंशन का प्रावधान नहीं था इसलिये 1947 से 1976 तक इन्हें कोई पेंशन नहीं थी।

हरिद्वार के मंदिर में भगदड़ पूर्व में भगदड़ से हुए हादसों से कोई सबक नहीं

प्रमोद भार्गव

उत्तराखंड के प्रसिद्द तीर्थस्थल के मनसा देवी मंदिर के मार्ग में मची भगदड़ से छह लोगों की मौत हो गईं और 40 लोग घायल हैं। यह शिवालिक पहाड़ियों पर 500 फीट की उंचाई पर यह घटना एक विद्युत मीटर के निकट बिजली का करंट फैल जाने की अफवाह से लगी। सावन का महीना और रविवार का दिन होने के कारण सुबह से ही बहुत भीड़ थी। वाबजूद इस संकरे मार्ग पर सुरक्षा के कोई पुख्ता प्रबंध नहीं थे। जबकि इसी रास्ते से लोग आ-जा रहे थे। जबकि हाल ही में जगन्नाथपुरी की रथयात्रा और बेंगलुरु में खेले गए क्रिकेट मैच के चलते दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, फिर भी प्रसाशन ने सबक लेते हुए कोई सतर्कता नहीं बरती। आखिर सोया प्रसाशन कब जागेगा? वैसे भी हरिद्वार धार्मिक उत्सव और कुंभ जैसे मेले को आयोजित कराने वाला नगर है, इसलिए वहां के प्रशासन को हर वक्त चैतन्य रहने की जरूरत है।

धार्मिक उत्सवों में दुर्घटनाओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यदि हरिद्वार की ही बात करें तो 1912 के कुंभ में भगदड़ से 7 लोगों की 1966 में 12, 1986 में 52, 1996 में 22, 2010 में 7 और 2011 गायत्री यज्ञ में भगदड़ होने से 20 लोगों की मौतें हुई थीं। भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिसके चलते दर्शन-लाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ व आगजनी का सिलसिला हर साल इस तरह के धार्मिक मेलों में देखने में आ रहा है। साफ है, प्रत्येक कुंभ में जानलेवा घटनाएं घटती रहने के बावजूद शासन-प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिए। धर्म स्थल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कम से कम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें। किंतु इस बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होती, अतएव उनकी

मंदिर... भगदड़... मौतें

जो सजगता घटना के पूर्व सामने आनी चाहिए, वह अक्सर देखने में नहीं आती? लिहाजा आजादी के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र उस अनियंत्रित स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसे वह समय पर नियंत्रित करने की कोशिश करता तो हालात कमोबेश बेकाबू ही नहीं हुए होते? अतएव देखने में आता है कि आयोजन को सफल बनाने में जुटे अधिकारी भीड़ के मनोविज्ञान का आकलन करने में चूकते दिखाई देते हैं।

जरूरत से ज्यादा प्रचार करके लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित किया जाता है। फलतः जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में उमड़ जाता है कि सारे रास्ते पैदल भीड़ से जाम हो जाते हैं। इसी बीच लापरवाही यह रही कि बाहर जाने के रास्ते को नेता और नौकरशाहों के लिए आरक्षित कर दिया गया और दो ट्रक आम रास्ते से मंदिर की ओर भेज दिए। इस चूक ने घटना को अंजाम दे दिया। जो भी प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकि उपाय किए गए थे, वे सब व्यर्थ साबित हुए। क्योंकि उन पर जो घटना के भयावह दृश्य दिखाई देने लगे थे, उनसे निपटने का

> **जरूरत से ज्यादा प्रचार करके लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित किया जाता है। फलतः जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में उमड़ जाता है कि सारे रास्ते पैदल भीड़ से जाम हो जाते हैं।**

तात्कालिक कोई उपाय ही संभव नहीं रह गया था। ऐसी लापरवाही और बदइंतजामी सामने आना चकित करती है। दरअसल रथयात्रा में जो भीड़ उमड़ी थी, उसके अवागमन के प्रबंधन के लिए जिस प्रबंध कौशल की जरुरत थी, उसके प्रति घटना से पूर्व सर्तकता बरतने की जरूरत थी ? इसके प्रति प्रबंधन अदूरदर्शी रहा। मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से लेते हैं। जो भारतीय मेलों के परिप्रेक्ष्य में कतई प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि दुनिया के किसी अन्य देश में किसी एक दिन और विशेष मुहूर्त के समय लाखों-करोडों की भीड़ जुटने की उम्मीद ही नहीं की जाती? बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण, लेने खासतौर से योरुपीय देशों में जाते हैं। प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से लिखने होंगे।

प्रशासन के साथ हमारे राजनेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और आला अधिकारी भी धार्मिक लाभ लेने की होड़ में

व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था और यज्ञ कुण्ड अथवा मंदिरों में मूर्तिस्थल तक ही हर हाल में पहुंचने की रूढ़ मनोदशा, मौजूदा प्रबंधन को लाचार बनाने का काम करती है। जो इस रथयात्रा में देखने में आई है। आम श्रद्धालुओं के बाहर जाने का रास्ता इन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। नतीजतन भीड़ ठसाठस के हालात में आ गई और दुर्घटना घट गई। दरअसल दर्शन-लाभ और पूजापाठ जैसे अनुश्ठान अशक्त और अपंग मनुश्य की वैशाखी हैं। जब इंसान सत्य और ईश्वर की खोज करते-करते थक जाता है और किसी परिणाम पर भी नहीं पहुंचता है तो वह पूजापाठों के प्रतीक गढ़कर उसी को सत्य या ईश्वर मानने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। यथार्थवाद से पलायन अंधविश्वास की जड़ता उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में यह कमजोरी बहुत व्यापक और दीर्घकालीक रही है। जब चिंतन मनन की धारा सूख जाती है तो सत्य की खोज मूर्ति पूजा और मुहूर्त की शुभ घड़ियों में सिमट जाती है। जब अध्ययन के बाद मौलिक चिंतन का मन-मस्तिश्क में ह्रस हो जाता है तो मानव समुदाय भजन-कीर्तन में लग जाता है। यही ह्श्र हमारे पथ-प्रदर्शकों का हो गया है। नतीजतन पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा मौतें भगदड़ की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में उन श्रद्धालुओं की हो रही हैं, जो ईश्वर से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं।

मीडिया इसी पूजा-पाठ का नाट्य रूपांतरण करके दिखाता है, यह अलौकिक कलावाद, धार्मिक आस्था के बहाने व्यक्ति को निष्क्रिय व अंधविश्वासी बनाता है। यही भावना मानवीय मसलों को यथास्थिति में बनाए रखने का काम करती है और हम ईश्वरीय अथवा भाग्य आधारित अवधारणा को भाग्य और प्रतिफल व नियति का कारक मानने लग जाते हैं। दरअसल मीडिया, राजनेता और बुद्धिजीवियों का काम लोगों को जागरूक बनाने का है, लेकिन निजी लाभ का लालची मीडिया, लोगों को धर्मभीरूबना रहा है। राजनेता और धर्म की आंतरिक आध्यात्मिकता से अज्ञान बुद्धिजीवी भी धर्म के छद्म का शिकार होते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशक के भीतर मंदिर हादसों में लगभग 5000 से भी ज्यादा भक्त मारे जा चुके हैं। बावजूद श्रद्धालु हैं कि दर्शन, आस्था, पूजा और भक्ति से यह अर्थ निकालने में लगे हैं कि इनको संपन्न करने से इस जन्म में किए पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। गोया, पुनर्जन्म हुआ भी तो श्रेष्ठ वर्ण में होने के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध व वैभवशाली होगा। परंतु इस तरह के खोखले दावों का दांव हर मेले में ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है। जाहिर है, धार्मिक दुर्घटनाओं से छुटकारा पाने की कोई उम्मीद निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रही है?

स्वतंत्रता दिवस है हर देशवासियों के लिये गर्व का त्यौहार

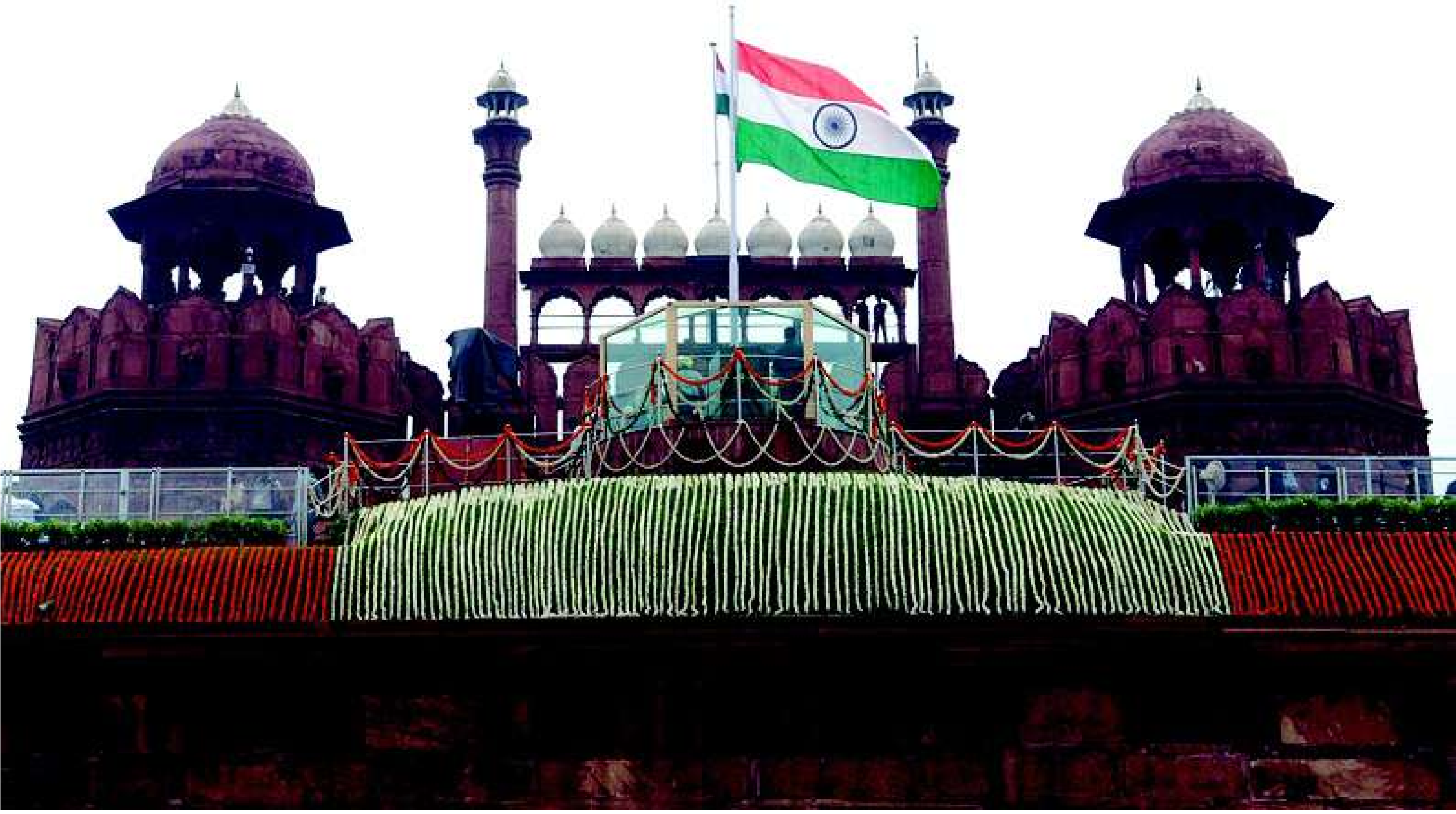

अर्चना शर्मा

स्वतंत्रता दिवस का हर देश में अत्यन्त महत्व होता है। यह वही दिन होता है जो हर गुलाम देश अपनी स्वतंत्रता के दिन को पूरे उत्सव के रूप में मनाता है। भारतवर्ष प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली थी। यह मुक्ति उसे 190 वर्षो की गुलामी के बाद मिली थी। यह दिन हर देशवासी को स्वतंत्र होने का अहसास दिलाता है। इस दिन हम उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में भारत वर्ष से अंग्रेजों को भगाने में अपना योगदान दिया। इस खास दिन पर हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई, गांधीजी जैसे उन साहसी पुरुषों के महान बलिदानों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदानों के लिये याद करते हैं। इस दौरान स्कूलों में विद्यार्थी स्वतंत्रता सेनानियों पर व्याख्यान देते हैं तथा परेड में भाग लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां करोड़ों लोग विभिन्न धर्म, परंपरा, और संस्कृति के एक साथ रहते है और स्वतंत्रता दिवस के इस उत्सव को पूरी खुशी के साथ मनाते हैं। इस दिन, भारतीय होने के नाते, हमें गर्व करना चाहिये और ये वादा करना चाहिये कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण या अपमान से अपनी मातृभूमि

की रक्षा के लिये सदा देशभक्ति से पूर्ण और ईमानदार रहेंगे। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खूब मदद मिली और 200 साल के लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। स्वतंत्रता के लिये किये गये कड़े संघर्ष ने उत्प्रेरक का काम किया जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने अधिकारों के लिये हर भारतीय को एक साथ किया, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, संस्कृति या परंपरा को मानने वाले हो।

स्वतंत्रता दिवस ऐसा दिन है जब हम अपने महान राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने विदेशी नियंत्रण से भारत को आजाद कराने के लिए अनेक बलिदान दिए और अपने जीवन न्यौछावर कर दिए। 15 अगस्त 1947 को भारत के निवासियों ने लाखों कुर्बानियां देकर ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त की थी। यह राष्ट्रीय पर्व भारत के गौरव का प्रतीक है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारम्भ महर्षि दयानन्द सरस्वती ने प्रारम्भ किया और अपने प्राणों को भारत माता पर मंगल पांडे ने न्यौछावर किया और देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गयी जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, सरफरोशी की तमन्ना लिए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि देश के लिए शहीद हो गए। तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का सिंहनाद किया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा - तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।

अहिंसा और असहयोग लेकर महात्मा गाँधी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने कमर कस ली। 90 वर्षो के लम्बे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता का वरदान मिला। भारत की आजादी का संग्राम बल से नहीं वरन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर विजित किया गया। इतिहास में स्वतंत्रता के संघर्ष का एक अनोखा और अनूठा अभियान था जिसे विश्व भर में प्रशंसा मिली।

सिपाही क्रांति

जब देश में चारों ओर असन्तोष का वातावरण था, तो अंग्रेजी सरकार ने सैनिकों को पुरानी बन्दूकों के स्थान पर नई राइफलें देने का निश्चय किया। इन राइफलों के कारतूस में सूअर तथा गाय की चर्बी प्रयुक्त की जाती थी और सैनिकों को राइफलों में गोली भरने के लिए इन कारतूसों के सिरे को अपने दाँतों से काटना पड़ता था। इससे हिन्दू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अंग्रेज सरकार उनके धर्म को

नष्ट करना चाहती है। इसलिए जब मेरठ के सैनिकों में ये कारतूस बाँटे गए तो 85 सैनिकों ने उनका प्रयोग करने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें कठोर दण्ड देकर बन्दीगृह में डाल दिया गया। सरकार के इस व्यवहार पर भारतीय सैनिकों ने 10 मई, 1857 के दिन हर-हर महादेव, मारो फिरंगी को का नारा लगाते हुए विद्रोह कर दिया।

इस विद्रोह में जिन नेताओं ने अपनी-अपनी देशभक्ति तथा वीरता का परिचय दिया, उनमें शहीद मंगल पाण्डे, नाना साहब, झाँसी की रानी, तात्या टोपे, कुँवर सिंह, अजीम उल्ला खाँ और सम्राट बहादुरशाह के नाम उल्लेखनीय हैं। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पराजित करके दुर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। लखनऊ में भी कई दिनों तक विद्रोह चलता रहा और चीफ कमिश्नर सर हेनरी लोटस को मौत के घाट उतार दिया। बनारस, इलाहाबाद, बरेली तथा शाहजहाँपुर में भी काफी हलचल रही और हजारों लोगों का रक्तपात हुआ। मध्य भारत में प्लासी तथा ग्वालियर विद्रोह के प्रमुख केन्द्र बने रहे। झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई तथा उनके सैनिकों ने स्थानीय दुर्ग में अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। काल्पी तथा ग्वालियर में भी भयंकर युद्ध लड़े गए। तात्या टोपे तथा अन्य कुछ वीरों ने भी इस विद्रोह में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। परन्तु झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता के इस प्रथम संग्राम में वीरगति को प्राप्त हुई। इससे भारतीय विद्रोहियों का साहस टूट गया और मध्य भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।

स्वतंत्रता की राह

20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक संगठनों ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में एक देश व्यापी आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी ने हिंसापूर्ण संघर्ष के विपरीत सविनय अवज्ञा अहिंसा आंदोलन को सशक्त समर्थन दिया। उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए मार्च, प्रार्थना सभाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कानर और भारतीय वस्तुओं को प्रोत्साहन देना आदि अचूक हथियार थे। इन रास्तों को भारतीय जनता ने समर्थन दिया और स्थानीय अभियान राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गए।

15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस का अवसर

इनमें से कुछ मुख्य आयोजन - असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, नागरिक अवज्ञा अभियान और भारत छोड़ो आंदोलन थे। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब उपनिवेशवादी शक्तियों के नियंत्रण में नहीं रहेगा और ब्रिटिश शासकों ने भारतीय नेताओं की मांग को मान लिया। यह निर्णय लिया गया कि यह अधिकार भारत को सौंप दिया जाए और 15 अगस्त 1947 को भारत को यह अधिकार सौंप दिया गया।

स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त की तिथि को मनाया जाता है। 15 अगस्त, 1947 के दिन भारत ने अंग्रेजी उपनिवेश की जकड़नों को तोड़कर स्वतंत्रता का नव प्रभात देखा था। यह स्वर्णिम दिन लगभग सवा सौ वर्षो तक चले अनवरत संघर्ष के बाद आया। इसके बाद देश की छवि बदली और नवनिर्माण का दौर आरंभ हुआ। स्वतंत्र भारत आज दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा होने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है।

स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण राष्ट्र का उत्सव है। इस दिन को पूरे राष्ट्र में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा झंडा समारोहपूर्वक फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों में जनता बढ़-चढ़कर भागीदारी करती है। जन-गण-मन,वंदे मातरम और जय हिंद के स्वरों से आसमान गुंजित हो उठता है। देशभक्ति के गीतों को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संकल्पित दिखाई देते हैं।

राजधानी दिल्ली में हर वर्ष पंद्रह अगस्त के दिन भव्य समारोह होता है। लाल किला तथा इसका पूरा परिक्षेत्र विशेष

रूप से सजा-धजा और समारोह के लिए तैयार दिखाई देता है।

स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस

1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय-समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा।

इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईधन झोंकने के लिये किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 और 1956 के बीच 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे।

तात्कालिक पृष्ठभूमि

सन् 1946 में, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म-प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ताा हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ताा हस्तांतरण की तारीख के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध, में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को दो राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया व ये भी घोषित किया कि उत्ताराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा।

यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी (अब बांग्लादेश सहित) ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गयी।

स्वतंत्रता व बंटवारा 15 अगस्त 1947 के दिन का प्रोग्राम

लाखों मुस्लिम, सिख और हिन्दू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नयी सीमाओं को पैदल पार कर सफर तय किया। पंजाब जहाँ सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को दो हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ, बंगाल व बिहार में भी हिंसा भड़क गयी पर महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर 2 लाख 50 हजार से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं, गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए, पर 14 अगस्त 1947, को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया मुहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने पांचवें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की।

स्वतंत्र भारत की घोषणा

14 अगस्त 1947 को रात को 11.00 बजे संघटक सभा द्वारा भारत की स्वतंत्रता को मनाने की एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें अधिकार प्रदान किए जा रहे थे। जैसे ही घड़ी में रात के 12.00 बजे भारत को आजादी मिल गई और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया।

NCERT: History as a tool for promoting Divisive Hate

Ram Puniyani

National Centre for Education, Research and Training (NCERT) is the body taking the final decision about the content of school text books. Last couple of decades it has become more a vehicle of promoting communal view of history rather than presenting the objective and rational view of History to the young minds. As history is the important part of shaping the understanding of young minds, the communal tilt in its curriculum will surely worsen the prevailing hate against the community, which has been 'othered' (Muslims) through multiple factors.

What the British introduced was a history which presented the kings through the prism of religion. Kings who rule for power and wealth were presented as driven by the agenda of promoting their religion. This ignored the fact that there were enough battles between kings of the same religion, confronting each other. Their armies many times

were mixed ones with people from both religions formed a part of it. They also did many actions, rather most actions which will not be approved by the norms prevailing in present times. To pursue their goals of expansion of their kingdoms, wars were frequent amongst the neighboring kings. War is the most inhuman act, and the type of brutalities in these wars or other acts of the kings were not restricted to kings belonging to one religion alone.

While Shivaji's initial battle was against Chandra Rao More, Babar had to defeat Ibrahim Lodi to establish his rule and the foundation of his dynasty here in India. There was a battle between great Chola kings and the Chalukya King. Kings cannot be seen in isolation from the context of their times. Now the atrocities by Mughal kings are being shown in isolation, to paint them in dark shade in present times in India. One more point which needs to be understood is that while Kings had mixed administrations, through complex mechanisms, the Muslim Kings are identified with today's Muslims and so are Hindu kings identified with today's Hindus. Every new demonization of Muslim Kings pushes today's Muslim in further corners, increasing their intimidation.

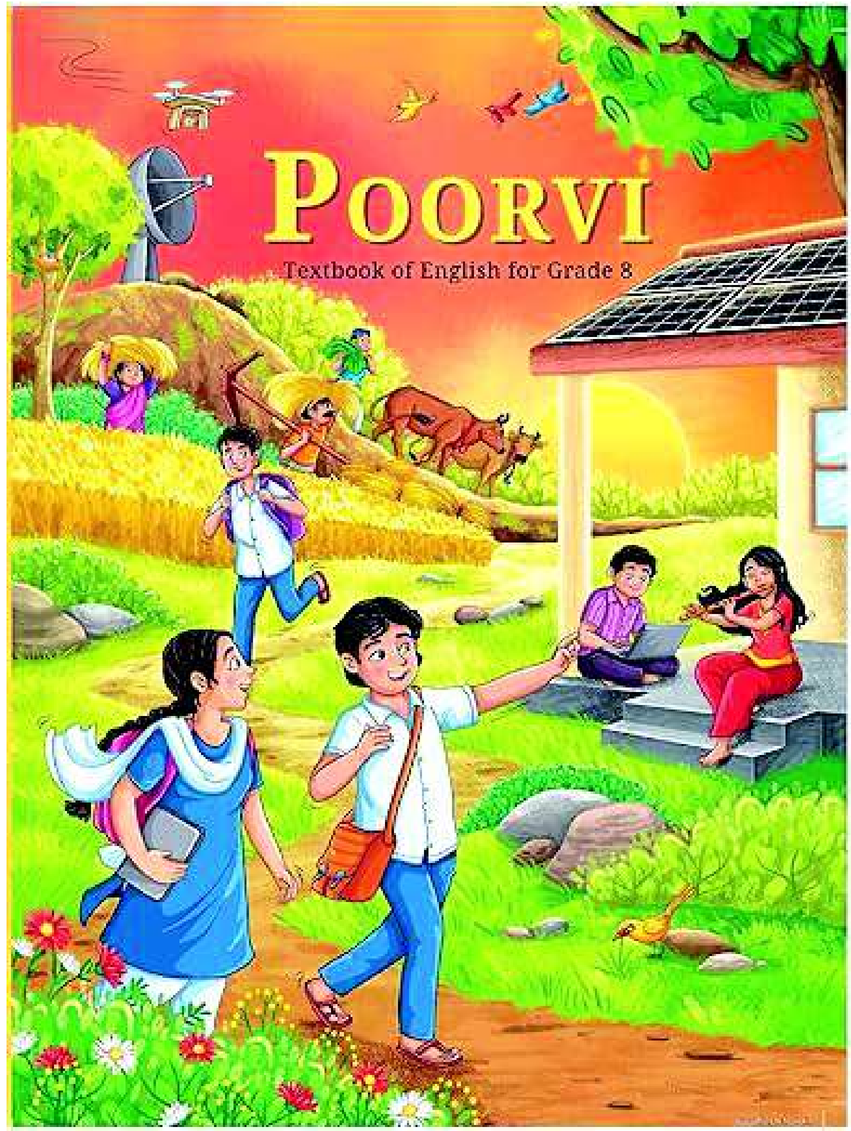

All this came to one's mind yet again as a new social science text for 8^{th} standard, NCERT has been released. This gives a revised take on Indian history from the 13th to 17th centuries. This book is part of the series *Exploring Society: India and Beyond*. This book is the first of the one which NCERT will be releasing to introduce students to the Delhi Sultanate and Mughal period.

This time around NCERT has gone full blast in demonizing the Muslim Kings. As per this temple destructions were also for iconoclasm. An in-depth understanding of temple destructions will tell us a different tale. One knows that

poet Kalhans Rajtaringini tells us about Raja Harshdev who had appointed a special officer, Deottpatan Nayak (officer responsible for uprooting the idols of Gods). He was doing this for wealth and he might be the king who destroyed the maximum number of temples.

Now the figure of the number of temples destroyed by Aurangzeb is being exaggerated without any concrete source. It is true that Aurangzeb gave orders for destroying some temples but surely his donations to Hindu temples are much more than the ones he destroyed. 'Farman's of King Aurangzeb' by Dr. Vishambharnath Pandey gives the list of innumerable temples which were given grants by the king. As per Babar, the issue of Babar destroying Ram temple was the major divisive issue. Allahabad High Court gave the judgement for Hindus share in the mosque case based on people's faith, not on legal ground. The Supreme Court verdict also did not confirm the presence of a temple underneath the mosque. As such in Babar's will kept in National Museum Delhi, Babar instructs Humayun to ensure that temples are not destroyed and cows should not be slaughtered as majority of people here are Hindus and their sentiments should be respected. This was part of the statecraft.

The NCERT book refers to his order to massacre 30,000 people at Chittorgarh and destroy temples. Incidentally when the siege of Chittod was laid, Rajput King Bhagwant Das was an ally of Akbar in the seige. It is not a question of whataboutery, but surely many Hindu kings have done similar things. In the battle between Cholas and Chalukyas, the winning Cholas, destroyed the whole city and destroyed many Jain Temples. Pushyamitra

Shung began the killings of Buddha Bhikkus and destruction of Buddha viharas and stupas. 'Shivkalyan Raja' by Bal Samant tells us about plunder, burning and injuring the people in Surat by Shivaji's army. All this was nothing unusual in the era of kingdoms.

Cruelty was the hallmark of battles and not related to the religion of the king. The biggest fact being undermined and suppressed is that the armies of Mughal kings had Hindu-Rajput soldiers while Armies of Hindu Kings had Muslim Soldiers. Akbar had Man Singh, Aurangzeb had Jaising and Jaswant Singh among others. Rana Pratap had Hakim Khan Sur as his general and Shivaji Maharaj had Daulat Khan, Ibrahim Gardi and many Siddhis on his side. The presentation in this book of history is very selective, hiding the side where Muslims were with Hindu Kings or Hindus were with Muslim kings.

While cruelty of Babar, Akbar, Aurangzeb is highlighted there is no mention at all of the mixed character of their administration and armies. Similarly, Jazia was not imposed all through the Mughal administration. Akbar came to power in 1560, and he withdrew within two-three years. Jazia was no incentive for conversion. It was a tax on non-Muslims, who are regarded as dhimmis, i.e. those protected by the Muslim state. And this tax was exempted for Brahmins and women. It was no incentive for conversion as Muslims had to pay Zakat.

This period is being called a dark period of our history. In every period of history there are some bright spots and some shameful practices. During this period, we saw the coming up of the most humane Bhakti and Sufi traditions. It was during this period that Sikh religion developed and flourished. It was during this period of history that social and cultural interaction between the two major religious traditions gave rise to the coming up of mixed culture, the Ganga Jamuni tehzeeb. It was during this period that many practices of two religions synthesized into the traditions of our land.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

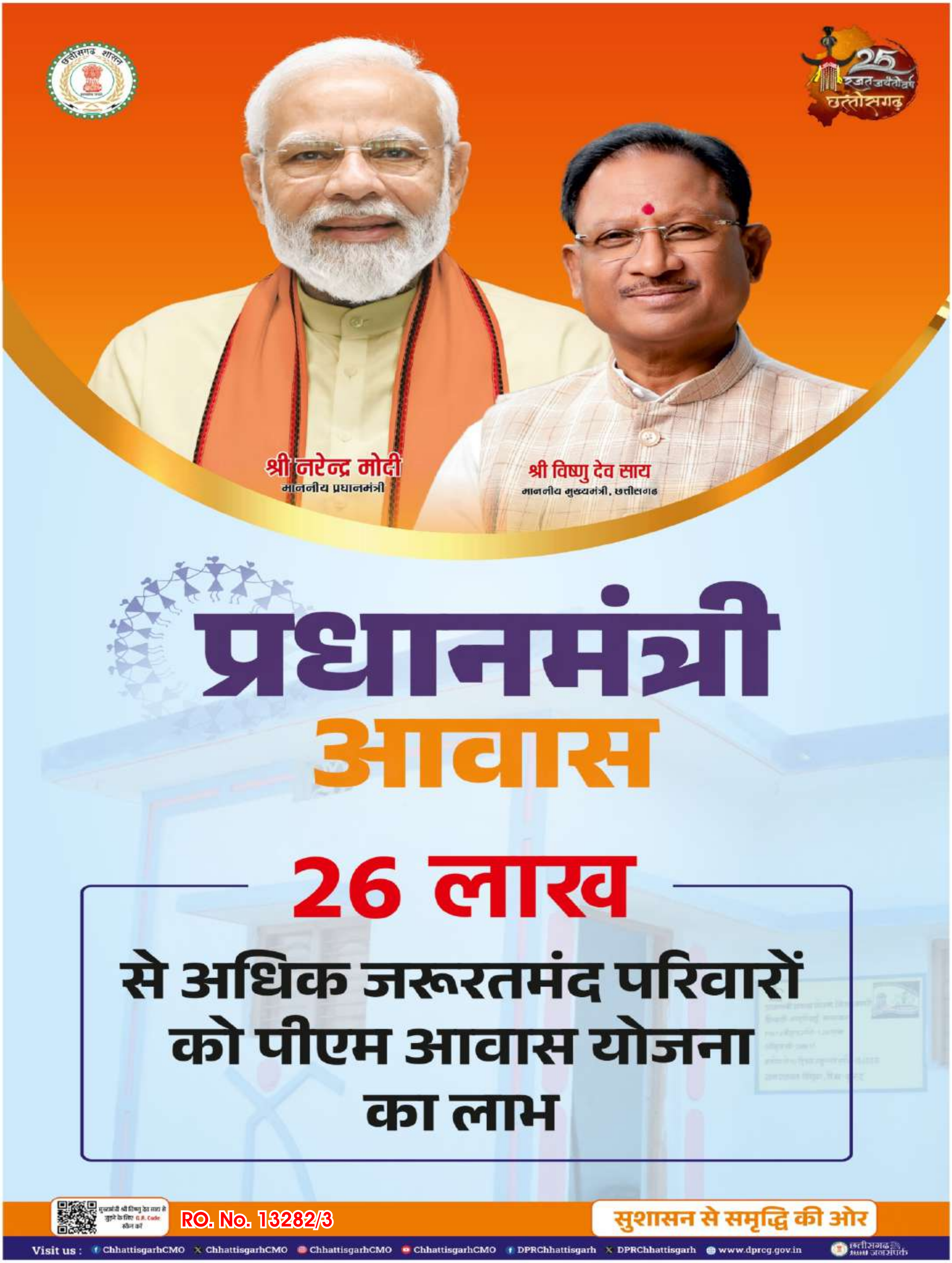

छत्तीसगढ़ शासन
25 रजत जयंती वर्ष छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
प्रधानमंत्री
आवास
26 लाख
से अधिक जरूरतमंद परिवारों
को पीएम आवास योजना
का लाभ
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए Q.R. Code स्कैन करें
RO. No. 13282/3
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

बदलते बस्तर की नई तस्वीर

327 गांवों में
नियद नेल्ला नार योजना से तीव्र विकास

350 स्कूलों
में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई

278 किलोमीटर
नई सड़कों का निर्माण

11 वृहद
पुलों का निर्माण

140 किलोमीटर
नई रेल लाइन विस्तार की स्वीकृति

1000 नए
मोबाइल टावरों की स्थापना

5,500 से
अधिक घरों का विद्युतीकरण

40,000 से
अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार अवसर

3202 नए
बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन

5,500 प्रति
मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता का भुगतान

QR स्कैन करें

RO. No. 13282/3

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in